



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबै/2019-20/10

विसविवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.06/02.01.001/2019-20

2 जुलाई 2019

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी संयोजक बैंक/ अग्रणी बैंक

महोदया / महोदय,

मास्टर परिपत्र - अग्रणी बैंक योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रणी बैंक योजना पर समय-समय पर दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में दी गई सूची के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना पर 30 जून 2019 तक जारी संबंधित दिशानिर्देशों/अनुदेशों को समेकित किया गया है।

2. यह मास्टर परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट <http://www.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(गौतम प्रसाद बोरा)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वी मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -400001

Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1

टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई -मेल : cgmfcidd@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा मेल डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

संरचना

1	प्रस्तावना
2	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत मंच
2.1	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति
2.2	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)
2.2.1	जिला परामर्शदात्री समिति का गठन
2.2.2	जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों का आयोजन
2.2.3	जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों की कार्यसूची
2.2.4	एलडीएम की भूमिका
2.2.5	तिमाही आम बैठक और शिकायत निवारण
2.2.6	जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक
2.2.7	डीसीसी / डीएलआरसी बैठक - बैठक के वार्षिक कैलेंडर
2.3	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)
2.3.1	एसएलबीसी का गठन
2.3.2	एसएलबीसी बैठकों का आयोजन
2.3.3	एसएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्यसूची (एजेंडा)
2.3.4	एसएलबीसी - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर
2.3.5	एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना / डेटा का मानकीकरण
2.3.6	राज्य सरकार से सम्पर्क
2.3.7	क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सैंसीटाइजेशन कार्यक्रम
3	अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन
3.1	क्रेडिट प्लान तैयार करना
3.2	क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपीएस)
3.3	क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी
3.4	एलबीएस मंच से संबंधित बैठकों के लिए डेटा प्रवाह की संशोधित प्रणाली
4	अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
5	बैंकिंग पहुँच
5.1	बैंक-रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रोडमैप
5.2	5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप
5.3	5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण
6	ऋण - जमा अनुपात
6.1	ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
6.2	सीडी अनुपात पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन
7	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

8	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए)
8.1	अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र समाप्त करना
9	किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना
10	अग्रणी बैंक योजना से संबंधित निर्देशों/परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

(i) अग्रणी बैंक की योजना का प्रारंभ प्रो. डी.आर.गाडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल (गाडगिल अध्ययन दल) के साथ हुआ है जिसने अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्य बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और इनके पास अपेक्षित ग्रामीण उन्मुखता का अभाव है। अतः अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण संरचना विकसित करने के लिए प्लान तथा कार्यक्रम बनाने हेतु 'क्षेत्र दृष्टिकोण' अपनाए जाने की सिफारिश की।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री एफ.के.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति (नरीमन समिति) ने अपनी रिपोर्ट में (नवंबर 1969) 'क्षेत्र दृष्टिकोण' की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय जिलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे एक 'अग्रणी बैंक' के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई। योजना का उद्देश्य बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना है ताकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बैंक वित्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा मिल सके। जिले की गतिविधियों में समन्वयन लाने के लिए एक विशिष्ट बैंक को जिले का अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा जाता है। अग्रणी बैंक से अपेक्षित है कि वह ऋण संस्थाओं एवं सरकार के प्रयासों में समन्वयन लाने के लिए लीडर की भूमिका निभाए।

(iv) वित्तीय क्षेत्र में हुए कई सारे परिवर्तनों के मद्देनजर श्रीमती उषा थोरात, भारतीय रिज़र्व बैंक की तत्कालीन उप गवर्नर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा 2009 में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा की गई।

(v) उक्त उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न स्टेकधारियों अर्थात् राज्य सरकारों, बैंकों, विकास संस्थाओं, शिक्षाविदों, एनजीओ, एमएफआई आदि के साथ व्यापक पैमाने पर चर्चाएं कीं और नोट किया कि उक्त योजना शाखा विस्तार, जमाराशियां जुटाने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सुधार लाने का मूल्य उद्देश्य प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उक्त योजना को जारी रखने के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर एसएलबीसी संयोजक बैंकों तथा अग्रणी बैंकों को कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए।

(vi) निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वृहद भूमिका की कल्पना के साथ अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि निजी क्षेत्र के बैंक अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में अधिक सक्रियता से भागीदारी करें। निजी क्षेत्र के बैंकों को चाहिए कि वे सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ संबंधी विशेषज्ञता को रणनीतिक आयोजना में शामिल करते हुए और अधिक सक्रियता के साथ भागीदारी करें। साथ ही उन्हें जिला क्रेडिट योजना के निर्माण और उसे लागू करने में भी अपनी सहभागिता देनी चाहिए।

(vii) वित्तीय क्षेत्र में हुए पिछले वर्षों के बदलावों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस योजना की प्रभावकारिता का अध्ययन करने तथा सुधार संबंधी उपायों को सुझाने के लिए बैंक के

“कार्यपालक निदेशकों की एक समिति” गठित की थी। समिति की सिफारिशों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर दिनांक 06 अप्रैल 2018 को एसएलबीसी संयोजक बैंकों एवं नाबार्ड को कुछ ‘एक्शन पॉइंट्स’ जारी की गई थी।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत मंच

2.1 ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)

ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी) एक ऐसा मंच है जो एक ओर ऋण संस्थाओं और दूसरी ओर फील्ड स्तरीय विकास एजेंसियों के बीच समन्वयन लाने के लिए है। उक्त मंच ब्लॉक क्रेडिट प्लान को तैयार और उसके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और बैंकों के क्रेडिट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं का निराकरण भी करता है। जिले का अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति का अध्यक्ष होता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक समेत सभी बैंक, ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक के तकनीकी अधिकारी जैसे कृषि, उद्योग एवं सहकारिता के लिए विस्तार अधिकारी, समिति के सदस्य होते हैं। बीएलबीसी बैठकें तिमाही अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। बीएलबीसी मंच, जो कि अग्रणी बैंक योजना के आधार स्तर पर कार्य करता है, को मजबूत बनाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी शाखा प्रबंधक बीएलबीसी बैठकों में भाग लें तथा अपने मूल्यवान निविष्टियों के साथ चर्चा को समृद्ध करें। बैंकों के नियंत्रक प्रमुख भी बीएलबीसी की कुछ चुनिंदा बैठकों में भाग ले सकते हैं। बीएलबीसी में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) की भागीदारी ब्लॉक के विकास के लिए बेहतर और अधिक सार्थक चर्चा सुनिश्चित करेगी। अतः नाबार्ड को सूचित किया गया है कि डीडीएम को अपने जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए तथा ऋण आयोजना अभ्यास एवं ब्लॉक स्तर की समीक्षा बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) चुनिंदा रूप से बीएलबीसी की बैठकों में भाग ले सकते हैं। छमाही अंतराल पर इन बैठकों में पंचायत समिति के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है ताकि वे ऋण आयोजना के कार्य में ग्रामीण विकास पर उनके ज्ञान तथा अनुभव को साझा कर सकें। भुगतान बैंकों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।

2.2 जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी)

2.2.1 डीसीसी का गठन

अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में गतिविधियों के समन्वयन के प्रति बैंकों तथा सरकारी एजेंसियों / विभागों के लिए जिला स्तर पर सामान्य मंच के रूप में सत्तर के दशक के प्रारंभ में डीसीसी का गठन किया गया था। जिलाधीश डीसीसी बैठकों के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, लघु वित्त बैंक सहित जिले के सभी वाणिज्यिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) सहित सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, विभिन्न राज्य सरकारी विभाग एवं संबद्ध एजेंसियां डीसीसी के सदस्य होते हैं। अग्रणी जिला अधिकारी (एलडीओ) डीसीसी के सदस्य के रूप में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। अग्रणी जिला प्रबंधक डीसीसी बैठकें आयोजित करता है। उन जिलों में जहां एमएसएमई क्लस्टर होते हैं माइक्रो, लघु और मध्यम

उद्यम विकास संस्थान के निदेशक (एमएसएमई-डीआई) एमएसएमई संबंधी मामलों की चर्चा करने के लिए आमंत्रिती के रूप में होते हैं।

2.2.2 डीसीसी बैठकों का आयोजन

- i) अग्रणी बैंकों द्वारा जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक तिमाही अंतराल पर आयोजित की जानी चाहिए।
- ii) जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) स्तर पर, विशिष्ट मुद्दों पर गहन कार्य करने हेतु, जैसा भी उचित हो, उप समितियां गठित की जाए तथा डीसीसी के विचारार्थ रिपोर्टें प्रस्तुत की जाए।
- iii) डीसीसी उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त फीडबैक दें जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना आवश्यक है ताकि राज्य स्तर पर इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके।

2.2.3 डीसीसी बैठकों की कार्यसूची

जहां सभी अग्रणी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित जिलों की विशेष समस्याओं को हल करें, तथापि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सभी जिलों के लिए समान हैं और जिन पर अग्रणी बैंकों को अपने मंच पर निरपवाद रूप से विचार-विमर्श करना चाहिए, निम्नानुसार हैं :

- i) वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा।
- ii) आईटी आधारित वित्तीय समावेशन को रोकने और समर्थ बनाने वाले विशिष्ट मुद्दे
- iii) सर्व-समावेशी वृद्धि के लिए बैंकिंग विकास हेतु "सक्षमकों" (इनेबलर्स) को सुविधा प्रदान करना तथा "बाधकों" को हटाने / कम करने के मामले
- iv) बैंकों और राज्य सरकारों द्वारा "क्रेडिट प्लस" कार्यक्रमों के प्रति जैसे कि वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के गठन और कारोबार प्रबंधन हेतु कौशल और क्षमता-निर्माण प्रदान कराने के लिए आरसेटी# जैसी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा की गई पहल की निगरानी
- v) वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रयास बढ़ाना
- vi) जिला ऋण योजना (डीसीपी) के अंतर्गत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा
- vii) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण उपलब्ध कराना
- viii) किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना
- ix) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता

x) शैक्षिक ऋण प्रदान करना

xi) एसएचजी - बैंक सहलग्नता के अंतर्गत प्रगति

xii) एसएमई वित्तपोषण तथा उसके मार्गावरोध, यदि कोई हो

xiii) बैंकों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुत करना

xiv) राहत उपायों की समीक्षा (प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, जहां भी लागू हो)

उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। अग्रणी बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकते हैं।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की भागीदारी को और अधिक सक्रिय बनाया जाए तथा एलबीएस के विभिन्न मंचों विशेष रूप से डीसीसी स्तर पर उसकी निगरानी की जाए। क्षेत्र में ऋण खपत क्षमता को बढ़ाने हेतु कौशल के विकास और धारणीय लघु उद्यमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीनीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान को जिले में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए कौशल खाका तथा क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला/ ब्लॉक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

2.2.4 एलडीएम की भूमिका

चूंकि अग्रणी बैंक योजना की कारगरता जिलाधीश और एलडीएम की गतिशीलता तथा क्षेत्रीय/अंचल कार्यालय की सहायक भूमिका पर निर्भर करती है, अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) के कार्यालय अग्रणी बैंक योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु केंद्र बिन्दु होने के कारण उसे उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जाए। कार्यालय के लिए अलग स्थान के प्रावधान के अलावा, एलडीएम कार्यालय में तकनीकी आधारभूत ढांचा जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, डाटा कनेक्टिविटी, आदि, जो कि एलडीएम द्वारा उनके मूलभूत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बुनियादी आवश्यकता है, बिना अपवाद के प्रदान किया जाए। उचित स्तर, दृष्टिकोण और आवश्यक नेतृत्व कौशल रखने वाले अधिकारी को एलडीएम के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह सुझाव दिया जाता है कि एलडीएम को एक समर्पित वाहन प्रदान किया जा सकता है ताकि वे बैंक अधिकारियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित कर सकें तथा विभिन्न वित्तीय साक्षरता पहल एवं बैठकों को आयोजित कर सकें/ उनमें उपस्थित हो सकें। डेटा प्रविष्टि/विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ अधिकारी/सहायक की कमी, एलडीएम के द्वारा सामना की जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। एलडीएम कार्यालय में स्टाफ की तैनाती न होने की स्थिति में/ कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं हायर करने की स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही, अग्रणी बैंक योजना के सफल परिचालन हेतु, हम अग्रणी बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे एक कदम आगे बढ़कर इन महत्वपूर्ण फील्ड अधिकारियों को दिए जाने वाले न्यूनतम सुविधाओं से अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करेंगे। एलडीएम की प्रचलित भूमिका जैसेकि डीसीसी/डीएलआरसी की

बैठके, लंबित मामले आदि के समाधान हेतु डीडीएम/एलडीओ/सरकारी अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित करना, के अलावा एलडीएम द्वारा विचार करने योग्य नए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन की निगरानी
- ii) बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्र, आरसेटी गठित करने में संबद्ध होना
- iii) एफएलसी और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता के कैम्प आयोजित करने में संबद्ध होना
- iv) एनजीओ/पंचायत राज संस्था (पीआरआई) की सहभागिता के साथ बैंकों और सरकारी अधिकारियों के लिए वार्षिक सुग्राहीकरण कार्यशाला आयोजित करना
- v) तिमाही जागरूकता तथा सार्वजनिक बैठकों में फीडबैक, शिकायत निवारण, आदि की व्यवस्था करना

2.2.5 तिमाही सार्वजनिक बैठक और शिकायत निवारण

अग्रणी जिला प्रबंधक जिले के विभिन्न स्थानों पर रिज़र्व बैंक के एलडीओ, क्षेत्र में स्थित बैंकों और अन्य स्टैकधारियों के साथ समन्वयन से एक तिमाही सार्वजनिक बैठक आयोजित करें ताकि ऐसी बैठकों में आम जनता से संबंधित विभिन्न बैंकिंग नीतियों और विनियमों के बारे में जागरूकता निर्मित हो, जनता से फीडबैक प्राप्त किया जा सके और यथासंभव शिकायत निवारण उपलब्ध हो सके अथवा ऐसे निवारण के लिए उचित तंत्र से संपर्क करने में सुविधा हो।

2.2.6 जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकें

डीएलआरसी की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधीश द्वारा की जाती है और इसमें जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के सदस्य उपस्थित रहते हैं। इन बैठकों में स्थानीय एमपी/एमएलए/जिला परिषद प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाता है। अग्रणी बैंक द्वारा तिमाही में कम से कम एक डीएलआरसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए। डीएलआरसी, जिले में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति एवं गुणवत्ता का पता लगाने हेतु एक मंच है। इस कारण गैर अधिकारियों की संबद्धता उपयोगी पायी गई है। अग्रणी बैंकों से अपेक्षित है कि जहां तक संभव हो सके वे डीएलआरसी बैठकों में जनता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अतः अग्रणी बैंकों को चाहिए कि वे डीएलआरसी बैठकों की तारीखें जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् एमपी/एमएलए आदि की सुविधा को तरजीह देते हुए निश्चित करें और उन्हें जिले में बैंकों द्वारा किए जानेवाले सभी समारोह में जैसे नयी बैंकिंग आउटलेट खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, एसएचजी ऋण सहबद्धता कार्यक्रम आदि में उन्हें आमंत्रित करें और उन्हें शामिल करें। जनता के प्रतिनिधियों के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी है और इन पर तत्परता से

कार्रवाई की जानी चाहिए। डीसीसी बैठकों में डीएलआरसी के निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा की जानी है।

2.2.7 डीसीसी/डीएलआरसी बैठकें - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) डीसीसी और डीएलआरसी विकासात्मक गतिविधियों में बाधक समस्याओं की समीक्षा करने तथा उनका हल ढूँढने के लिए जिला स्तर पर वाणिज्य बैंकों, सरकारी एजेंसियों और जिला स्तर के अन्यो के बीच डीसीसी और डीएलआरसी एक महत्वपूर्ण समन्वयनकारी मंच होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपर्युक्त बैठकों में सभी सदस्य सहभागी हो और चर्चा में भाग लें। डीसीसी और डीएलआरसी की बैठकों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि बैठक की तारीख की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने/सूचना प्राप्त न होने, अन्य इवेंटों की और ये तारीखें एक ही होने, तारीखों की समानता आदि के कारण इन बैठकों में सदस्यों के सहभाग में बाधा आती है; इस प्रकार, उपर्युक्त बैठकें आयोजित करने का मूल उद्देश्य बाधित हो जाता है।

ii) अतः अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी जिलों के लिए कैलेंडर वर्ष के आधार पर बैठकों के अध्यक्षों, रिज़र्व बैंक के एलडीओ और डीएलआरसी के मामले में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से डीसीसी और डीएलआरसी का वार्षिक कार्यक्रम (शेड्यूल) तैयार करें। उक्त वार्षिक कैलेंडर - हर वर्ष, वर्ष के प्रारंभ में ही तैयार किया जाए तथा डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अग्रिम रूप में भावी तारीखें ब्लाक करने हेतु सदस्यों के बीच परिचालित किया जाए और बैठकें कैलेंडर के अनुसार संचालित की जाए। कैलेंडर तैयार करते समय यह देखा जाए कि डीसीसी एवं डीएलआरसी की बैठकें एक ही साथ आयोजित नहीं की जा रही है।

2.3 राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

2.3.1 एसएलबीसी का गठन

i) राज्य के विकास के लिए एक समान आधार पर सभी राज्यों में पर्याप्त समन्वयनकारी तंत्र निर्मित करने के लिए एक शिखर अंतर संस्थागत मंच के रूप में अप्रैल 1977 में राज्य स्तरीय बैंकर समिति स्थापित की गई थी। संयोजक बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक एसएलबीसी के अध्यक्ष होते हैं। उसमें लघु वित्त बैंक सहित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधियों समेत सरकारी विभागों के प्रमुख तथा राज्य में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो एकत्रित होकर नीति के कार्यान्वयन स्तर पर समन्वयन की समस्या को हल करते हैं। यदि कोई विशिष्ट समस्या हो तो, उस पर चर्चा के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न संगठनों जैसे फुटकर व्यापारी, निर्यातक एवं कृषक यूनियन आदि के प्रतिनिधि एसएलबीसी बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में होते हैं। एसएलबीसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित होती हैं। एसएलबीसी की बैठकें आयोजित करने का दायित्व राज्य के एसएलबीसी संयोजक बैंक का होता है।

ii) इस बात को मानते हुए कि एसएलबीसी प्राथमिक रूप से राज्य स्तरीय बैंकर समिति के रूप में राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है इसलिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) बैठकों के आयोजन पर निदर्शी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2.3.2 एसएलबीसी बैठकों का आयोजन

i) एसएलबीसी बैठकें तिमाही अंतरालों पर नियमित रूप से होनी चाहिए। बैठकों की अध्यक्षता संयोजक बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक निदेशक द्वारा की जानी चाहिए तथा बैठकों की सह-अध्यक्षता संबंधित राज्य के अपर मुख्य सचिव या विकास आयुक्त द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां एसएलबीसी संयोजक बैंक के प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / कार्यपालक निदेशक एसएलबीसी बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक संबंधित राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव / विकास आयुक्त के साथ बैठकों की सह-अध्यक्षता करेंगे। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों में उच्च स्तरीय सहभागिता से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों की सार्वजनिक नीति संबंधी मामलों पर प्रभावी और अर्थपूर्ण चर्चा के साथ अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

ii) मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री तथा राज्य/रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी (उप गवर्नर/ कार्यपालक निदेशक के श्रेणी के) को एसएलबीसी बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, राज्य के मुख्यमंत्रियों को कम से कम एक एसएलबीसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

iii) राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकें प्राथमिक तौर पर नीतिगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें तथा इन बैठकों में बैंकों/ सरकारी विभागों के केवल वरिष्ठ अधिकारी ही सहभागिता करें। सभी रूटीन मुद्दों को एसएलबीसी की उप-समिति(यों) को सौंपा जाए। एसएलबीसी बैठकों के लिए सुगठित कार्यसूची को अंतिम रूप देने तथा विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कार्यसूची प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए एसएलबीसी में एक स्टीयरिंग उप-समिति बनाई जा सकती है। आमतौर पर, उप-समिति में, एसएलबीसी संयोजक, आरबीआई और नाबार्ड के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग यथा वित्त/ संस्थागत वित्त के वरिष्ठ प्रतिनिधि एवं बृहद स्तर पर मौजूद दो से तीन बैंकों के प्रतिनिधि, को शामिल किया जा सकता है।

iv) अन्य मुद्दे-विशिष्ट उप-समितियों को आवश्यकतानुसार गठित किया जा सकता है। उप समितियां कृषि, सूक्ष्म, लघु / मध्यम उद्योगों / उद्यमों, हैंडलूम वित्त, निर्यात संवर्धन और वित्तीय समावेशन इत्यादि से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की गहराई से जांच करते हुए समाधान / सिफारिशें मुख्य समिति द्वारा अपनाए जाने हेतु प्रस्तुत कर सकती है। उनसे अपेक्षा है कि वे एसएलबीसी की तुलना में अधिक बार बैठक आयोजित करें। उप-समितियों में राज्यों से संबंधित वित्तीय समावेशन को लागू / सक्षम करने से संबंधित विषयों / विशिष्ट मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एवं उनके द्वारा सामना किए जा रहे विशिष्ट समस्याओं / मुद्दों के अनुसार चर्चा की जानी चाहिए।

v) एसएलबीसी के सचिवालय/कार्यालयों को पर्याप्त रूप से मजबूत किया जाए ताकि एसएलबीसी संयोजक बैंक अपने कार्य कारगर रूप से कर सकें।

vi) निम्न स्तर के विभिन्न मंच उन मामलों पर एसएलबीसी को पर्याप्त फीडबैक दें जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

vii) विभिन्न संस्थाएं तथा शिक्षाविद ऐसे अनुसंधान और अध्ययन आदि कर रहे हैं जो कृषि और एमएसएमई क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए प्रभावकारी हैं। ऐसी अनुसंधान संस्थाओं तथा शिक्षाविदों की संबद्धता अग्रणी बैंक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में गति लाने हेतु नए विचार लाने में उपयोगी होगी। अतः एसएलबीसी ऐसे शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं का चयन करें और उन्हें समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकों में "विशेष अतिथि" के रूप में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करें ताकि वे चर्चा को और सार्थक बना सकें और उन्हें राज्य के लिए उपयुक्त अध्ययन में सहभागी बनाएं। अन्य "विशेष अतिथियों" को बैठकों में चर्चा की जानेवाली कार्यसूची मद्दों/मामलों के आधार पर एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया जाए।

viii) आनेवाले वर्षों में निम्न आय वाले परिवारों को सुगम ऋण मुहैया कराने और उसे प्रणालीकृत करने में एनजीओ के कार्यकलाप बढ़ने के आधार हैं। कई कार्पोरेट प्रतिष्ठान भी दीर्घकालिक विकास के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में लगे हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनजीओ/कार्पोरेट आवश्यक "क्रेडिट प्लस" सेवाएं प्रदान करते हैं, क्षेत्र में परिचालित ऐसे एनजीओ/कार्पोरेट प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की सहलग्नता, समावेशी वृद्धि हेतु बैंक ऋण को वृद्धिगत करने में सहायक हो सकती है। सफल कहानियों को एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि मॉडेल के रूप में उनका अनुसरण किया जा सके।

2.3.3 एसएलबीसी बैठकों के लिए संशोधित कार्य सूची

1. वित्तीय समावेशन पहल, बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार और वित्तीय साक्षरता की समीक्षा

- क) बैंकिंग रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने, बैंकिंग रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस-सक्षम बैंकिंग आउटलेट्स की स्थिति
- ख) व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्यों की समीक्षा - शामिल बाधा/ मुद्दे
- ग) राज्य में भुगतान हेतु डिजिटल मोड को बढ़ाने में हुई प्रगति, पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ निरंतर कनेक्टिविटी की सुविधा का प्रावधान, कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों/ कनेक्टिविटी विकल्पों (भारत नेट, वीसैट, आदि) को हल करना, एटीएम और पीओएस मशीनों की स्थापना और राज्य में ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के कार्यान्वयन की स्थिति
- घ) राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रोलआउट की स्थिति। आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण
- ड) स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की समीक्षा, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल (विशेषकर डिजिटल वित्तीय साक्षरता)

- च) विभिन्न योजनाओं, सब्सिडीयों, सुविधाओं जैसे कि फसल बीमा, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि के बारे में जागरूकता फैलाना
- छ) आपूर्ति श्रृंखला में सम्मिलित सभी हितधारकों से जुड़े परियोजनाओं में शुरू से अंत तक के प्रयासों की समीक्षा
2. बैंकों द्वारा किए गए ऋण संवितरण की समीक्षा
- क) राज्य के एसीपी के तहत उपलब्धि, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार,
- ख) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं (डीएवाई-एनआरएलएम, डीएवाई-एनयूएलएम, मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया, पीएमईजीपी, आदि) के लिए ऋण देने पर चर्चा और इन योजनाओं का प्रभाव
- ग) एमएसएमई और किफायती आवास हेतु ऋण प्रवाह
- घ) केसीसी ऋण, पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा
- ड) शिक्षा ऋणों की स्वीकृति
- च) एसएचजी-बैंक सहबद्धता के अंतर्गत प्रगति
3. किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना
4. सीडी अनुपात, 40% से नीचे के सीडी अनुपात वाले जिलों और डीसीसी (एसएससी) की विशेष उप-समितियों के कार्य की समीक्षा।
5. योजनाबद्ध उधार के संबंध में एनपीए की स्थिति, सर्टिफिकेट मामलें और एनपीए की वसूली
6. राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिलों, यदि कोई हो, में ऋण पुनर्गठन की समीक्षा
7. केंद्र/ राज्य सरकार/ आरबीआई की नीतिगत पहलों (औद्योगिक नीति, एमएसएमई नीति, कृषि नीति, स्टार्ट-अप नीति, आदि) पर चर्चा, और बैंकों की अपेक्षित भागीदारी
8. ग्रामीण बुनियादी ढांचे/ ऋण खपत क्षमता में सुधार पर चर्चा।
- क) सी-डी अनुपात में सुधार लाने के लिए लिए राज्य सरकार द्वारा किसी बड़े परियोजना पर विचार करना।
- ख) संभावित विकास क्षेत्रों के दायरे का राज्य-विशिष्ट अन्वेषण और आगे की राह - सहयोगी बैंकों को चुनना।
- ग) क्षेत्र केंद्रित अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों पर चर्चा, यदि कोई हो, और सुझाए गए समाधानों को लागू करना
- घ) ग्रामीण और कृषि बुनियादी ढांचे के गैप की पहचान जिसे वित्तपोषण की आवश्यकता है (ग्रामीण गोदाम, सौर ऊर्जा, कृषि प्रसंस्करण, बागवानी, संबद्ध गतिविधियों, कृषि विपणन, आदि)
- ड) मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन (संभावनाओं की तलाश)

9. आरसेटी (RSETIs) के कामकाज की समीक्षा सहित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई), आदि के साथ साझेदारी करके मिशन मोड पर कौशल विकास की दिशा में प्रयास।
 10. भूमि रिकॉर्ड में सुधार, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में प्रगति और निर्बाध ऋण संवितरण के लिए किए गए प्रयास
 11. जिला स्तर पर घटित सफलता की कहानियों और नई पहलों को साझा करना जिसे अन्य जिलों या राज्य भर में दोहराया जा सके।
 12. मार्केट इंटेलिजेंस मुद्दों पर चर्चा, जैसे
 - क) पोन्जी योजनाएं/ असंगठित निकायों की अवैध गतिविधियां/ फर्मों/ कंपनियाँ जो आम जनता से जमाराशियाँ मांगती है
 - ख) बैंकिंग संबंधित साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, आदि
 - ग) क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा उधार देने के दौरान अत्यधिक ब्याज की घटनाएं, अधिक ऋणग्रस्तता के मामलें
 - घ) उधारकर्ता समूहों आदि, द्वारा ऋण संबंधी धोखाधड़ी
 13. डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों में न सुलझाए गए मामले
 14. बैंकों द्वारा समय पर डेटा प्रस्तुत करना, एसएलबीसी बैठक की समयसूची का पालन करना
 15. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।
- उपर्युक्त सूची उदाहरणात्मक है, परिपूर्ण नहीं। एसएलबीसी संयोजक बैंक आवश्यक समझी जानेवाली अन्य किसी कार्यसूची मद को शामिल कर सकता है।

2.3.4 एसएलबीसी - बैठकों का वार्षिक कैलेंडर

i) एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों की कारगरता में वृद्धि करने और उनकी कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैठकें आयोजित करने हेतु वर्ष के शुरुआत में ही कार्यक्रम का एक वार्षिक कैलेंडर (कैलेंडर वर्ष आधारित) तैयार करें। कार्यक्रम के कैलेंडर में, एसएलबीसी को आँकड़े प्रस्तुत करने की तथा एसएलबीसी संयोजक द्वारा उसकी स्वीकृति की अंतिम तारीखें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। यह वार्षिक कैलेंडर सभी संबंधितों को पूर्व सूचना के रूप में परिचालित किया जाए ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की आगामी तारीखें ब्लॉक की जा सकें। एसएलबीसी/यूटीएलबीसी की बैठकें हर परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए।

चूककर्ता बैंकों से आंकड़ों की प्रतीक्षा किए बिना कार्यसूची भी पहले ही परिचालित की जानी चाहिए। परंतु, एसएलबीसी बैठक में चूककर्ता बैंकों के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एसएलबीसी संयोजक बैंक को इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए चूककर्ता बैंक के नियंत्रक कार्यालय को एक पत्र लिखना चाहिए। तथापि, एसएलबीसी संयोजक बैंक समय पर आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण हेतु बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना जारी रखेगा। साथ ही यदि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या अन्य वरिष्ठतम पदाधिकारी किसी असाधारण अवसर पर एसएलबीसी में उपस्थित नहीं हो पाते, तो यदि वे इच्छुक हों तो एक विशेष एसएलबीसी बैठक आयोजित की जा सकती है। कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करने में निम्नलिखित स्थूल दिशानिर्देशों का प्रयोग किया जाना चाहिए :

कार्यकलाप	(दिनांक) तक पूरा किया जाए
एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों और सभी संबंधितों को आँकड़े प्रस्तुत करने और बैठकों की तारीख सूचित करने का नीचे दी हुई तारीखों के अनुसार कैलेंडर तैयार करना	प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी
बैठक की सही तारीख तथा एसएलबीसी को बैंकों द्वारा आँकड़े प्रस्तुत करने संबंधी अनुस्मारक	तिमाही की समाप्ति के पूर्व 15 दिन
एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा जानकारी/ आँकड़े प्राप्त करने की अंतिम तिथि	तिमाही की समाप्ति से 15 दिन
कार्यसूची – बैकग्राउंड पेपर का वितरण	तिमाही की समाप्ति से 20 दिन
बैठक का आयोजन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर
सभी स्टैकधारियों को बैठक के कार्यविवरण का प्रेषण	बैठक के आयोजन से 10 दिनों के भीतर
बैठक से उभरे कार्य-बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई	कार्यविवरण प्रेषित करने से 30 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाए (अगली बैठक में समीक्षा हेतु)

(ii) वर्ष के प्रारंभ में बैठकों का कैलेंडर तैयार करने का उद्देश्य सभी स्टैकधारियों को इन बैठकों की पर्याप्त नोटिस देना तथा कार्यसूची के कागज़ात के समय पर संकलन एवं प्रेषण को सुनिश्चित करना है। इससे एसएलबीसी संयोजकों को इसमें सहभागी होने वाले बैंकों और सरकारी विभागों द्वारा समय पर डाटा प्रस्तुतीकरण भी सुनिश्चित होता है। इससे ऐसा अपेक्षित है कि एसएलबीसी बैठकों में उपस्थित रहने के लिए विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारियों से तारीख लेने में एसएलबीसी संयोजक के मूल्यवान समय की बचत होगी।

(iii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों को वार्षिक कैलेंडरों के सुनिश्चित पालन करने के लाभ समझ लेने चाहिए। अतः एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक

कैलेंडर का व्यापक प्रचार करें और सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालयों द्वारा सभी बैठकों के लिए बैठक में उपस्थित रहने के लिए प्रत्याशित वरिष्ठ पदाधिकारियों की तारीखें ब्लॉक कर ली गई हैं। यदि, तारीखें ब्लॉक करने के बावजूद भी, किसी कारणवश वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहने में असमर्थ हो तो बैठक कैलेंडर में की गई आयोजना के अनुसार की जानी चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैलेंडर में निर्धारित अंतिम तारीख तक इन बैठकों में समीक्षार्थ डाटा पहुंच जाना चाहिए और समय पर डाटा प्रस्तुत न करनेवालों से डाटा भेजने में विलंब के कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाना चाहिए तथा कार्यविवरण में उन्हें अभिलिखित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में कैलेंडर के अनुसार कार्यसूची तैयार करने के लिए निर्धारित तारीखों से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए।

2.3.5 एसएलबीसी वेबसाइट - सूचना/डाटा का मानकीकरण

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से एसएलबीसी वेबसाइट बनाए रखना अपेक्षित है जिसमें अग्रणी बैंक योजना एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी अनुदेश उपलब्ध हो और जो बैठकों के संचालन तथा राज्यवार/बैंकवार कार्यनिष्पादन से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के इच्छुक आम आदमी की पहुंच में हो। एसएलबीसी वेबसाइट पर उपलब्ध की जानेवाली उक्त सूचना एवं डाटा का मानकीकरण करने की दृष्टि से सूचना और डाटा की निदर्शी सूची [अनुबंध II](#) में दी गई है। एसएलबीसी को चाहिए कि वह अपने बैंक की एसएलबीसी वेबसाइटों पर न्यूनतम निर्धारित जानकारी रखने तथा उसे नियमित रूप से, कम से कम तिमाही आधार पर, अद्यतन करने की व्यवस्था करें। बैंक यह नोट करें कि उक्त सूची केवल निदर्शी स्वरूप की है और एसएलबीसी इसमें उस राज्य के संबंध में संगत कोई भी अतिरिक्त सूचना डाल सकते हैं।

2.3.6 राज्य सरकार से संपर्क

एसएलबीसी संयोजक बैंकों से अपेक्षित है कि वे राज्य के सभी बैंकों की गतिविधियों को समन्वित करें, उधार देने, बैंकिंग विकास के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करने तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्त करने में होने वाली परिचालनगत समस्याओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करें।

2.3.7 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण/सेंसीटाइजेशन कार्यक्रम

i) बैंकों तथा आम तौर पर बैंकिंग तथा साथ ही, अग्रणी बैंक योजना की विशिष्ट व्याप्ति एवं भूमिका पर जिलाधीशों और जिला परिषदों के सीईओ को सेंसीटाइज करने की जरूरत है। प्रत्येक राज्य में हर वर्ष अधिमानतः अप्रैल/मई में एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए। इस प्रकार का सेंसीटाइजेशन इन अधिकारियों के परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनरी) प्रशिक्षण का एक भाग होना चाहिए। साथ ही, जैसे उन्हें किसी जिले में तैनात किया जाए, एसएलबीसी को जिलाधीशों की एसएलबीसी संयोजक कार्यालय में सेंसीटाइजेशन एवं अग्रणी बैंक योजना को समझने के लिए एक एक्सपोजर यात्रा आयोजित करनी चाहिए।

ii) बैंकों के परिचालन स्तर के स्टाफ और अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से संबद्ध सरकारी एजेंसियों के स्टाफ के लिए अद्यतन गतिविधियों और उभरते अवसरों की जानकारी पाना जरूरी है। स्टाफ सेंसीटाइजेशन/प्रशिक्षण/सेमीनार, आदि आवधिक अंतरालों पर सतत चलाते रहने की जरूरत है।

3. अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

3.1 ऋण योजना (क्रेडिट प्लान) तैयार करना

अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में आयोजना (प्लानिंग) की महत्वपूर्ण भूमिका है और विकास के लिए विद्यमान क्षमता का पता लगाने (मैपिंग) के लिए नीचे से ऊपर (बॉटम-अप) दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत प्लानिंग की शुरुआत विभिन्न सेक्टरों के लिए अनुमानित ब्लॉकवार/गतिविधिवार क्षमता की पहचान के साथ होती है।

3.2 क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी)

i) क्षमता संबद्ध क्रेडिट प्लान (पीएलपी) बैंक ऋण के माध्यम से विकास की विद्यमान संभावना क्षमता का पता लगाने के मूल उद्देश्य के साथ क्रेडिट प्लानिंग को विकेंद्रित करने के प्रति उठाया गया एक कदम है। पीएलपी में दीर्घावधिक भौतिक क्षमता, बुनियादी संरचना समर्थन की उपलब्धता, विपणन सुविधाओं तथा सरकार की नीतियों / कार्यक्रमों आदि को ध्यान में रखा जाता है। नाबार्ड से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पीएलपी अधिक केंद्रित और कार्यान्वयन योग्य होना चाहिए ताकि बैंक, शाखा ऋण योजना तैयार करते समय इसका उपयोग अधिक लाभप्रद रूप से कर सके। पीएलपी को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त धारणीय कृषि पद्धतियों के प्रचार पर बल देना चाहिए। पीएलपी तैयार करते समय, उन प्रक्रियाओं और परियोजनाओं की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो कि:

- क) कार्बन फुट-प्रिंट कम करे,
- ख) उर्वरकों के अति प्रयोग को रोके,
- ग) पानी के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करे और
- घ) कृषि प्रदूषण संबंधी मुद्दों का निवारण करे।

योजना को, अभिनव खेती प्रणालियों जैसे कि जैविक खेती, जैव गतिशील खेती, परमाकल्चर और छोटे पैमाने पर धारणीय खेती को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही किसान उत्पादक संस्थाओं (एफपीओ) और किसानों के बाजारों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह की पहल को उपयुक्त निवेश और परियोजना वित्त ढांचे द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए।

ii) एलडीएम द्वारा हर वर्ष जून के दौरान आयोजित पीएलपी-पूर्व बैठक में बैंकों, सरकारी एजेंसियों, आदि को उपस्थित रहना है जिसमें क्रेडिट क्षमता (सेक्टरवार/गतिविधिवार) संबंधी चिंताओं पर उनके विचार व्यक्त किए जाने तथा पिछले एक वर्ष में जिले की प्रमुख वित्तीय तथा सामाजिक-आर्थिक

गतिविधियों पर चर्चा की जाए एवं पीएलपी में समावेशन हेतु प्राथमिकताएं निश्चित की जाए। इस बैठक में, नाबार्ड के डीडीएम आगामी वर्ष का पीएलपी तैयार करने हेतु सूचना संबंधी प्रमुख आवश्यकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगा। आगामी वर्ष का पीएलपी तैयार करने का कार्य हर वर्ष अगस्त तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार इसे पीएलपी अनुमानों में विभाजित (फैक्टर) कर सकें।

iii) जिला क्रेडिट प्लान तैयार करने की कार्यविधि निम्नानुसार है:-

- क) लघु वित्त बैंक सहित वाणिज्य बैंकों के नियंत्रक कार्यालय और आरआरबी तथा डीसीसीबी/एलडीबी का प्रधान कार्यालय अपनी सभी शाखाओं को उनके संबंधित शाखा प्रबंधकों द्वारा शाखा क्रेडिट प्लान (बीसीपी) तैयार करने के लिए स्वीकार की गई ब्लॉकवार/गतिविधिवार संभावना परिचालित करेंगे। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शाखाओं द्वारा शाखा/ब्लॉक प्लान समय पर पूरे किए जाते हैं, ताकि क्रेडिट प्लान समय पर परिचालन में आ सके।
- ख) हर ब्लॉक के लिए एक विशेष ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी) बैठक आयोजित की जाएगी जहां शाखा क्रेडिट प्लान पर चर्चा की जाएगी और इन्हें ब्लॉक क्रेडिट प्लान बनाने के लिए जोड़ दिया जाएगा। डीडीएम और एलडीएम यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्लॉक क्रेडिट प्लान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं संबंधी संभावनाओं समेत पहचानी गई गतिविधिवार संभावनाओं के अनुरूप है, बीएलबीसी के प्लान को अंतिम रूप देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- ग) एलडीएम द्वारा जिला क्रेडिट प्लान (डीसीपी) बनाने के लिए जिले के सभी ब्लॉक क्रेडिट प्लानों को जोड़ लिया जाएगा। उक्त प्लान जिले की ऋण जरूरतों का विश्लेषणात्मक निर्धारण इंगित करता है जिसे जिले में कार्यरत सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनियोजित किया जाएगा और निधियों की कुल मात्रा नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में निश्चित की जानी है। बैंकों के आंचलिक/नियंत्रक कार्यालय वर्ष के लिए अपने व्यवसाय प्लान को अंतिम रूप देते समय डीसीपी में की गई प्रतिबद्धताओं को हिसाब में लेंगे जो कि कार्यनिष्पादन बजटों को अंतिम रूप देने से काफी पहले तैयार रखा जाना चाहिए।
- घ) अग्रणी जिला प्रबंधक जिला क्रेडिट प्लान के अंतिम स्वीकरण/अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। सभी जिला क्रेडिट प्लान अंततः राज्य स्तरीय क्रेडिट प्लान में जोड़ दिए जाएंगे जो एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा तैयार किया जाएगा और हर वर्ष अप्रैल की 1 तारीख तक प्रक्षेपित किया जाएगा।
- ङ) बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं, ब्लॉक, जिलों और राज्यों के लिए कॉर्पोरेट व्यवसाय लक्ष्य को वार्षिक ऋण योजनाओं (एसीपी) के साथ संरेखित किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में बैंकों के नियंत्रक कार्यालय को अपने आंतरिक व्यवसाय योजना को एसीपी के साथ सिंक्रनाइज़ करना चाहिए।

3.3 क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की निगरानी

क्रेडिट प्लान के कार्यनिष्पादन की समीक्षा नीचे दर्शाए गए अनुसार अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत निर्मित विभिन्न मंचों पर की जाएगी :

ब्लॉक स्तर पर	ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी)
जिला स्तर पर	जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी)
राज्य स्तर पर	राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)

रिजर्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की निगरानी - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआईएस)

i) वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) पर डाटा, राज्य में ऋण प्रवाह की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। एसीपी फार्मेटों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर संशोधित रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। तदनुसार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए एसीपी को तैयार करना होगा जिसमें कृषि, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक मूलभूत संरचना और नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य का समावेश होगा। साथ ही, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित एवं सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे हैं, उन्हें दिया गया सभी बैंक ऋण बिना किसी क्रेडिट सीमा के प्राथमिकता-प्राप्त के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे। तदनुसार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकरण के लिए वर्तमान में लागू माइक्रो/ लघु और मध्यम उद्यम (सेवा) के प्रत्येक उधारकर्ता को क्रमशः ₹5 करोड़ तथा ₹10 करोड़ की ऋण सीमा को हटा दिया गया है। एसीपी लक्ष्य हेतु विवरण एलबीएस-एमआईएस-I (अनुबंध III), संवितरण और बकाया हेतु विवरण एलबीएस-एमआईएस-II (अनुबंध IV) तथा एसीपी लक्ष्य की तुलना में एसीपी उपलब्धि एलबीएस-एमआईएस-III (अनुबंध V) है। अग्रणी बैंकों/एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित फार्मेटों के अनुसार वर्ष 2018-19 से बैंक समूहवार एलबीएस-एमआईएस-I, II और III विवरण तैयार करें तथा सभी डीसीसी और एसएलबीसी बैठकों में अर्थपूर्ण समीक्षा हेतु इन विवरणों को प्रस्तुत करें।

(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अखिल भारतीय डाटा की निरंतरता एवं सत्यता बनाए रखने तथा डाटा की अर्थपूर्ण समीक्षा/विश्लेषण कर पाने की दृष्टि से एसीपी डाटा को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों एवं डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों को डीसीसी/एसएलबीसी बैठकों के समक्ष रखते समय तथा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करते समय अलग-अलग समूहबद्ध किया जाना चाहिए। बैंक समूहवार स्थिति को जानने हेतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डाटा को आगे सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए।

3.4 एलबीएस मंच की बैठकों हेतु डेटा फ़्लो की संशोधित प्रक्रिया

वर्तमान में, विभिन्न एलबीएस मंचों, जैसे कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी), पर आयोजित तिमाही बैठकों में चर्चाएँ मुख्य रूप से वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों को आबंटित लक्ष्य की तुलना में उनके द्वारा किए गए ऋण संवितरण निष्पादन पर केंद्रित होती हैं। बैंकों द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किए गए डेटा की प्रामाणिकता और समयबद्धता को सुनिश्चित करना एक चुनौती है क्योंकि इस डेटा के एक बड़े भाग को मैनुअल रूप से संकलित करते हुए एसएलबीसी संयोजक बैंकों के डेटा प्रबंधन सिस्टम में मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है। इस डेटा को संबंधित बैंकों के सीबीएस में मौजूद डेटा से मिलाने पर यह काफी हद तक भिन्न पाया जाता है। अतः ब्लॉक, जिला साथ ही साथ राज्य से संबंधित डेटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए प्रत्येक एसएलबीसी द्वारा संचालित वेबसाइट पर एक मानक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक डेटा को बैंकों के सीबीएस और/ या एमआईएस से प्रत्यक्ष रूप से डाउनलोड करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में परिकल्पित इंटरवेनशन से संबंधित प्रक्रिया निम्नानुसार प्रस्तुत है:

एलबीएस मंच पर डेटा फ़्लो का प्रबंधन - प्रक्रिया

- i. प्रत्येक बैंक के सीबीएस में एलबीएस संबंधी समस्त आंकड़े/ सारणी की रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट करने का प्रावधान होना चाहिए। इन आंकड़ों में जिला तथा ब्लॉक के नाम के लिए फ़िल्ड /कॉलम सहित राज्य में परिचालित समस्त शाखाओं से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। बैंक के सीबीएस से इस डेटा को डाउनलोड तथा एक्सपोर्ट करने का अधिकार बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों को दिया जाना चाहिए, जो कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों / ब्लॉक के लिए 'डेटा फीडिंग' की प्रक्रिया हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- ii. 'डेटा फीडिंग' प्रक्रिया इस एक्सेल शीट (उपरोक्त स्टेप (i) में डाउनलोडेड) को एसएलबीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया है। एसएलबीसी की वेबसाइट में इस एक्सेल शीट में उपस्थित सभी आंकड़ों को एसएलबीसी वेबसाइट के डाटाबेस में 'इम्पोर्ट/अपलोड' करने का प्रावधान होना चाहिए। यह एसएलबीसी/ नियंत्रक कार्यालय स्तर पर की गई किसी भी मैनुअल 'डेटा प्रविष्टि' को कम कर देगा।
- iii. उपरोक्त कार्यशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रत्येक एसएलबीसी संयोजक बैंक को उनकी एसएलबीसी वेबसाइट पर बैंक एंड पर अपेक्षित क्षमताओं सहित यह 'इम्पोर्ट/ अपलोड' सुविधा जोड़नी होगी।

iv. इस प्रकार, एसएलबीसी वेबसाइट डेटा संग्रहक मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही, उपलब्ध स्रोतों के आधार पर एसएलबीसी वेबसाइटों पर डेटा विश्लेषण क्षमताएँ भी जोड़ी जा सकती हैं।

v. एसएलबीसी वेबसाइट में अग्रणी जिला प्रबंधकों को किसी विशिष्ट जिला तथा ब्लॉक का डेटा सीधे इस वेबसाइट से डाउनलोड करने का अधिकार दिया जाना चाहिए जिससे डेटा की प्रामाणिकता तथा समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

vi. अभी भी राज्य सरकार योजनाओं/ अन्य डेटा से संबंधित कुछ ऐसे आंकड़े हो सकते हैं, जो बैंकों के सीबीएस अथवा एमआईएस पर उपलब्ध नहीं हों। इसे नियंत्रक कार्यालय स्तर पर संग्रहीत करना होगा जैसा कि अभी किया गया है। एसएलबीसी वेबसाइट पर, इस डेटा की प्रविष्टि हेतु भी समुचित सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके पश्चात इसे अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा जिला/ ब्लॉक स्तर के रिपोर्ट के लिए डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक ऐसे डाटा या सूचना के लिए 'टेक्स्ट बॉक्स' जैसे ओपन फ़ारमैट फ़िल्ड्स जोड़ सकता है जो विशिष्ट हो या कभी-कभार प्रविष्टि/ उपयोग किया जाता हो।

vii. इस प्रकार की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि एलडीएम एवं एसएलबीसी संयोजक बैंकों को शून्य या न्यूनतम डेटा एंट्री/ फीडिंग करनी पड़े तथा सभी डेटा की प्रविष्टि एकल 'डेटा अभिरक्षक' द्वारा की जाती है, जो प्रत्येक बैंक का नियंत्रक कार्यालय है। सरकारी एक्सेटेंशन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सूचना भी इसी भांति अपलोड की जा सकती है।

परिकल्पित डेटा प्रवाह तंत्र को लागू करने के लिए एसएलबीसी वेबसाइटों और सभी बैंकों के सीबीएस और एमआईएस प्रणाली में आवश्यक संशोधन किया जाए।

4. अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1969 से अग्रणी बैंक योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक जिले में नामित बैंकों को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपने का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसमें इस प्रयोजन के लिए बनाई गई विस्तृत कार्यविधि अपनाई जाती है। 30 जून 2019 को देश के 717 जिलों में 18 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंक को अग्रणी बैंक दायित्व सौंपा गया है।

ii) राज्य/संघशासित क्षेत्र स्तर पर एक शिखर स्तरीय मंच के रूप में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं और सरकारी विभागों की गतिविधियों का समन्वयन करती है। इस प्रयोजन हेतु बैंकों को एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी संयोजकत्व की ज़िम्मेदारी दी जाती है। 30 जून 2019 को 29 राज्यों और 7 संघशासित क्षेत्रों का एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजकत्व 14 सरकारी क्षेत्र बैंकों और एक निजी क्षेत्र बैंक को सौंप दिया गया है। राज्यवार/ संघशासित क्षेत्र से संबंधित एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंकों और जिलावार अग्रणी बैंकों की सूची [अनुबंध 1](#) में दी गई है।

iii) समूचे देश को अग्रणी बैंक योजना की परिधि में लाने हेतु महानगरीय क्षेत्रों के जिलों को अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत लाया गया।

5. बैंकिंग पहुँच

i) पिछले कुछ वर्षों में अग्रणी बैंक योजना का ध्यान बदलकर समावेशी वृद्धि तथा वित्तीय समावेशन पर आ गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं बिचौलियों के प्रयोग से बैंक वहनीय लागत पर आउटरीच, बैंकिंग सेवाओं की मात्रा तथा गहराई में वृद्धि करने में सक्षम हो गए हैं।

ii) एसएलबीसी संयोजक बैंकों/अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच के माध्यम से शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। दिनांक 18 मई 2017 को डीबीआर ने 'बैंकिंग आउटलेट' पर स्पष्टीकरण देते हुए 'शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाने पर संशोधित दिशानिर्देशों में बैंकों को सूचित किया था कि वे बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में सीबीएस-सक्षम बैंकिंग आउटलेट या अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट खोलने पर विचार करें।

iii) जहां औपचारिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा पहुँच की जरूरत है वहां सभी केंद्रों में बैंकिंग विस्तार सुनिश्चित करने हेतु एसएलबीसी संयोजक बैंक सड़क/डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रेरक कानून और व्यवस्था की स्थिति, बिजली की निर्बाध आपूर्ति तथा पर्याप्त सुरक्षा आदि से संबंधित बाधाओं को राज्य सरकारों के पास उठाएं। तथापि, इससे वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत में रुकावट नहीं आनी चाहिए।

5.1 बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु रोडमैप

नवंबर 2009 में, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए रोडमैप शुरू किया गया था। सभी पहचाने गए गांवों को शाखाओं, व्यवसाय प्रतिनिधियों या एटीएम और मोबाइल वैन आदि जैसे अन्य तरीकों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान किया गया है। बाद में, जून 2012 में, 2000 से कम आबादी वाले बैंक रहित बैंकों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रोडमैप शुरू किया गया था। एसएलबीसी संयोजक बैंक और अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 14 अगस्त 2015 तक 2000 से कम आबादी वाले बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को पूरी कर लें।

5.2 5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप

चूंकि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए इमारती शाखाएं एक अत्यावश्यक घटक हैं, अतः यह निर्णय किया गया है कि 5000 से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांवों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इससे बैंक गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और बीसी आउटलेट को समय पर सहायता देने में भी सक्षम बनेंगे जिससे बीसी के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं को जारी रखते हुए उन्हें मजबूती प्रदान की जा सकेगी और बीसी के परिचालनों का बारीकी से पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तदनुसार, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने राज्य में 5000 से अधिक की आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखारहित गांव अभिनिर्धारित करें। ऐसे अभिनिर्धारित गांव अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) को शाखा खोलने हेतु आवंटित किए जाएंगे।

5.3 5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण

‘शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना – दिशानिर्देशों में संशोधन’ पर [दिनांक 18 मई 2017 को जारी परिपत्र बैंकवि.सं.बीएपीडी.बीसी.69/22.01.001/2016-17](#) के अनुसार वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने तथा साथ ही वितरण प्रणाली (डिलीवरी चैनल) के विकल्प के संबंध में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए ‘बैंकिंग आउटलेट’ पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तदनुसार, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने राज्य के सभी बैंक रहित ग्रामीण केंद्र (यूआरसी) की पहचान करें तथा ऐसे सभी केंद्रों को संकलित करते हुए एक अद्यतन सूची तैयार करें। अद्यतन सूची को प्रत्येक एसएलबीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि बैंकों को उस स्थान / केंद्र को चुनने / इंगित करने की सुविधा मिल सके जहां वे ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलना चाहते हैं।

ii) साथ ही, एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि खोले जाने वाले कुल ‘बैंकिंग आउटलेट’ में से कम से कम 25 प्रतिशत को टियर 5 और 6 के बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोले जाने से संबंधी मानदंड के अनुपालन हेतु, जैसा कि दिनांक 18 मई 2017 के डीबीआर के परिपत्र में निर्धारित किया गया है, बैंक 5000 से अधिक की आबादी (अर्थात टियर 5 केंद्र) वाले बैंकिंग आउटलेट रहित गाँवों को प्राथमिकता देंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्राधिकार के ऐसे सभी गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर सीबीएस सक्षम बैंकिंग आउटलेट सुविधा मुहैया कराई जाए।

iii) बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श करते समय बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों की अद्यतन सूची एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत की जाए।

6. ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात)

6.1 ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंकों को अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर अलग से 60 प्रतिशत का ऋण-जमा अनुपात प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया है। जहां उक्त अनुपात अलग-अलग शाखावार, जिलावार अथवा क्षेत्रवार रखना आवश्यक नहीं है, वहां बैंकों को किसी भी बात के होते हुए भी विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपात में व्यापक असमता से बचना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि ऋण विनियोजन में क्षेत्रीय असंतुलन कम हो सके। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का अभाव, क्रेडिट को खपा लेने की भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की भिन्न-भिन्न क्षमता, आदि जैसे कारणों के परिणामस्वरूप कतिपय जिलों में क्रेडिट वितरण अत्यल्प रहा है। बैंक ऐसे क्षेत्रों की अपनी शाखाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें और क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अग्रणी बैंक जिले की अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा डीसीसी मंचों पर उक्त समस्या के सभी पहलुओं पर चर्चा करें।

6.2 ऋण-जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

i) भारत सरकार ने राज्यों/क्षेत्रों में न्यून ऋण-जमा (सीडी) अनुपात की समस्या के स्वरूप और मात्रा को देखने तथा इस समस्या के हल का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। विशेषज्ञ दल ने न्यूनतम ऋण-जमा अनुपात की समस्याओं एवं कारणों की जांच की। सिफारिशों के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर बैंकों के ऋण-जमा अनुपात की भिन्न स्तरों पर निगरानी की जानी चाहिए -

संस्था / स्तर	संकेतक
प्रधान कार्यालय में अलग-अलग बैंक	सीयू + आरआईडीएफ
राज्य स्तर (एसएलबीसी)	सीयू + आरआईडीएफ
जिला स्तर	सीएस

जहां :

सीयू = उपयोगिता के स्थान के अनुसार क्रेडिट

सीएस = मंजूरी के स्थान के अनुसार क्रेडिट

आरआईडीएफ = आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यों को प्रदत्त कुल संसाधन

साथ ही, बैंकों को सूचित किया जाता है कि :

- ऋण-जमा अनुपात की निगरानी के लिए 40 प्रतिशत से कम के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप समितियां (एसएससी) गठित की जाएं,
- 40 और 60 के बीच के ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों की निगरानी डीसीसी द्वारा वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी, और
- 20 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिले का विशेष तौर से उपचार किए जाने की जरूरत है।

ii) ऋण-जमा अनुपात की निगरानी करने और ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने, निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाने के लिए 40 प्रतिशत से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में डीसीसी की विशेष उप समिति (एसएससी) गठित की जानी चाहिए। अग्रणी जिला प्रबंधक उक्त एसएससी संयोजक के रूप में पदनामित होगा जिसमें उक्त क्षेत्र में कार्यरत बैंकों के जिला समन्वयनकर्ताओं के अलावा रिज़र्व बैंक के एलडीओ, नाबार्ड के डीडीएम, जिला आयोजना अधिकारी अथवा जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लेने का विधिवत अधिकार प्राप्त जिलाधीश (कलक्टर) का प्रतिनिधि शामिल होंगे।

विशेष उप समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे :

- विशेष उप समिति अपने जिलों में ऋण-जमा अनुपात में स्वस्थापित क्रमिक आधार पर सुधार लाने के लिए निगरानी योग्य कार्रवाई योजना (एमएपी) बनाएगी।
- इस प्रयोजन के लिए स्थापित होने के तुरंत बाद एसएससी एक विशेष बैठक करेगी तथा आधार स्तरीय विशेष मानदंडों के आधार पर अपने लिए ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए प्रारंभ में चालू वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी। वह इसी बैठक में ऋण-जमा अनुपात को वार्षिक वृद्धि द्वारा 60 से पार ले लाने के लिए एक समयावधि निश्चित करेगी।
- इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के परिणामस्वरूप एसएससी द्वारा स्व-स्थापित लक्ष्य एवं समयावधि को अनुमोदन के लिए डीसीसी के समक्ष रखा जाएगा।
- कार्यान्वयन के लिए प्लान हाथ में लेगी और उसकी दो महीनों में एक बार कड़ाई से निगरानी करेगी।
- डीसीसी को और उनके माध्यम से एसएलबीसी के संयोजक को तिमाही आधार पर प्रगति की रिपोर्ट एसएससी देगी।
- निगरानी योग्य प्लान (एमएपी) के कार्यान्वयन में प्रगति के संबंध में डीसीसी से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एसएससी द्वारा एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे चर्चा / सूचना के लिए एसएलबीसी बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा।

iii) जहां तक 20 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों का संबंध है, ये आम तौर पर पहाड़ी, मरुस्थलों, दुर्गम भूभागों और/या ऐसे स्थानों पर होते हैं जो मात्र प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर होनेवाले तथा/या खराब कानून एवं सुव्यवस्था तंत्र विशेषता वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जब तक बैंकिंग प्रणाली

और राज्य सरकार एक विशेष सोद्देश्यपूर्ण तरीके से इकट्ठे न हो, पारंपरिक पद्धतियां सफल नहीं हो पाएंगी।

iv) जहां इन जिलों में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन का ढांचा 40 से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों के समान होगा (अर्थात् एसएससी का गठन आदि) वहीं ध्यान (फोकस) का प्रमुख केंद्र और प्रयासों का स्तर काफ़ी उच्चतर मात्रा का होना चाहिए।

इसके लिए,

- ऐसे सभी जिलों को पहले विशेष श्रेणी में रखना होगा।
- उसके बाद, उनके ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने का दायित्व बैंकों एवं राज्य सरकार द्वारा उठाया जाए तथा जिले को जिला प्रशासन एवं अग्रणी बैंक द्वारा संयुक्त रूप में 'अपनाया' जाना चाहिए।
- जहां बैंक क्रेडिट वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे वहीं राज्य सरकार द्वारा बैंकों के लिए उधार देने तथा अपनी देय राशियों की वसूली के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित कर समर्थन देने के साथ-साथ चयनित ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण संबंधी अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।
- विशेष श्रेणी के जिलों की प्रगति पर जिला स्तर पर निगरानी रखी जाएगी और संबंधित बैंकों के कार्पोरेट कार्यालयों को वह रिपोर्ट की जाएगी।
- बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक ऐसे जिलों के ऋण-जमा अनुपात पर विशेष ध्यान देंगे।

7. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार ने चुनिंदा जिलों में जनवरी 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत (डीबीटी) को लागू किया है। बाद में इसे और जिलों में विस्तारित किया गया था। एसएलबीसी संयोजक बैंकों को डीबीटी को कार्यान्वित करने हेतु सरकारी प्राधिकारियों के साथ समन्वयन बनाए रखने के लिए सूचित किया गया था। वित्तीय समावेशन / प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में एसएलबीसी बैठकों में डीबीटी के कार्यान्वयन की स्थिति को एक नियमित कार्यसूची मद के रूप में शामिल करने के लिए बैंकों को सूचित किया है। डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए परिलब्धि के रूप में हर पात्र व्यक्ति के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही, आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से द्वार तक वितरण किए जाने के लिए देशभर के सभी गांवों में या तो इमारती शाखाओं अथवा शाखारहित माध्यम से बैंकिंग आउटलेट होना जरूरी है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे :-

- बैंक खाते खोलने तथा उनमें आधार संख्या जोड़ने का कार्य पूरा करने हेतु कदम उठाएँ।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में होनेवाली प्रगति की बारीकी से निगरानी करें।
- लाभार्थियों को आधार संख्या जोड़ने के अनुरोध के लिए पावती देने और आधार संख्या जोड़े जाने की पुष्टि भेजने की एक प्रणाली स्थापित करें।
- जिला स्तर पर संबंधित राज्य सरकारी विभाग के साथ डीबीटी कार्यान्वयन समन्वयन समिति बनाएं तथा बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने के कार्य की समीक्षा करें।
- सुनिश्चित करें कि कार्य पर लगाए गए व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के जिला और ग्रामवार नाम तथा अन्य ब्यौरे / बैंक द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं एसएलबीसी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए हर बैंक में एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें तथा हर जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें।

8. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए)

i) ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में नियोजनबद्ध एवं सही तरीके से विकास करने के लिए अप्रैल 1989 में शुरू किया गया सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (एसएए) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू था। एसएए के अंतर्गत ग्रामीण या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित हर बैंक शाखा 15 से 25 गांवों में सेवा देने के लिए निर्दिष्ट की गई थी और उक्त शाखा अपने सेवा क्षेत्र की बैंक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी। एसएए का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उधार बढ़ाना तथा बैंक ऋण, उत्पादन, उत्पादकता में प्रभावी सहबद्धता एवं आय स्तरों में बढ़ोतरी लाना था। एसएए योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें यथोचित परिवर्तन किए गए।

ii) सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की दिसंबर 2004 में समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एसएए के सकारात्मक पहलुओं जैसे ऋण आयोजना और ऋण पर्वेअन्स की निगरानी को बनाए रखने के साथ योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाएं। तदनुसार, सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उधार देने को छोड़कर एसएए के अंतर्गत बैंकों की ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के बीच गांवों का आवंटन लागू नहीं था। इस प्रकार जहां वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसी भी ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्र में ऋण देने के लिए स्वतंत्र हैं, वहीं उधारकर्ता को अपनी ऋण जरूरतों के लिए किसी भी शाखा से संपर्क करने का विकल्प प्राप्त है।

8.1 अदेयता (नो ड्यू) प्रमाणपत्र समाप्त करना

विशेषतः ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में झंझट रहित ऋण सुनिश्चित करने हेतु, एवं बहुविध वित्तपोषण से बचने हेतु बैंकों के पास विविध तकनीकी एवं अन्य तरीकों की उपलब्धता के मद्देनजर बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित, यदि योजना में अन्यथा उल्लेख न हो, सभी प्रकार के ऋणों चाहे उसमें निहित राशि कुछ भी क्यों न हो, के लिए वैयक्तिक ऋणकर्ताओं (एसएचजी और जेएलजी सहित) से 'अदेयता प्रमाणपत्र' प्राप्त न करें। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि बेबाकी (अदेयता - नो ड्यू) प्रमाणपत्र समाप्त करने से संबंधित नीति बैंकों द्वारा मेट्रोपॉलिटन शहरों सहित शहरी क्षेत्रों में दिए जाने वाले उधारों पर भी लागू होगा।

ii) बैंकों को, ऋण मूल्यांकन के एक भाग के रूप में 'अदेयता प्रमाणपत्र' से इतर समुचित सावधानी (ड्यू डीलिजेंस) के वैकल्पिक ढांचे का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में से एक या अधिक समाविष्ट हो सकता है:

- ऋण सूचना कंपनियों के माध्यम से ऋण के पूर्व इतिहास की जांच
- ऋणकर्ता से स्व-घोषणापत्र या शपथ-पत्र
- सीईआरएसएआई पंजीकरण
- समकक्ष निगरानी
- ऋणदाताओं के बीच सूचना का आदान-प्रदान
- सूचना की जांच पड़ताल (अपने आप अंतिम समय सीमा के साथ अन्य उधारकर्ताओं को लिखना)

iii) साथ ही, बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान अनुदेशों में किए गए अपेक्षा के अनुसार सभी ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को डेटा/सूचना प्रस्तुत करें।

9. किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना

i) भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2016-17 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के अपने संकल्प की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के साथ ही उद्देश्य पूर्ति के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने हेतु एक अंतर-मंत्रालय समिति की स्थापना की गयी है। सरकार द्वारा विभिन्न मंचों पर इस एजेंडा को दोहराया गया है एवं ग्रामीण और कृषि विकास की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

ii) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रणनीति में अन्य बातों के साथ निम्न शामिल है:

- “प्रति बूंद, अधिक फसल” उद्देश्य के साथ, बृहत बजट के साथ सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना
- प्रत्येक जोत क्षेत्र की मिट्टी के आधार पर उत्तम बीज और पोषक का प्रावधान

- फसल की कटाई के उपरांत होने वाली हानियों से बचने के लिए कोल्ड चेन और भंडारगृह में निवेश
- खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण, विकृतियां हटाना और सभी 585 स्टेशनों में बुनियादी ढांचे यथा ई-प्लेटफार्म का विकास करना
- सस्ती कीमत पर जोखिम कम करने के लिए फसल बीमा योजना का सुदृढीकरण
- अनुषंगी गतिविधियां, जैसे कि मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन, को बढ़ावा देना।

iii) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आय सृजन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में बेहतर पूंजी निर्माण पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर करता है। इस दिशा में, बैंकों को चाहिए कि वे फसल ऋण हेतु अपने प्रलेखीकरण को पुनः देखें और जहां आवश्यक है उसे सरल बनाएं तथा ऋण की शीघ्र मंजूरी एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर संवितरण को सुनिश्चित करें।

iv) अग्रणी बैंक योजना, जो कि वित्तीय क्षेत्र में अंतर-विभागीय/सरकारी समन्वय सुनिश्चित करता है, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने संबंधी उद्देश्य हेतु उपयोग में लायी जा सकती है। तदनुसार, अग्रणी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न को सुनिश्चित करें:-

- क) उक्त रणनीति को ध्यान में रखते हुए, क्षमता संबद्ध ऋण योजना (पीएलपी) और वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करने के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर कार्य करना।
- ख) अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों जैसे कि एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी तथा बीएलबीसी में 'किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना' को नियमित रूप से कार्यसूची के तौर पर समाहित करें।
- ग) प्रगति की समीक्षा और निगरानी हेतु, अग्रणी बैंक, नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं।
- घ) ऊपर दिए गए पैरा 9(ii) के अनुसार आप अपने बैंक के कृषि/एग्रो अनुषंगी ऋण योजना हेतु समग्र रूप से रणनीति तैयार करें।

10. अग्रणी बैंक योजना से संबंधित निदेशों / परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	संदर्भ सं.	तारीख	विषय
1.	विसविवि.केंका .प्लान.1/04.0 9.01/2016- 17	7 जुलाई 2016 (04 दिसंबर 2018 को अद्यतन)	मास्टर निदेश - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और एसएफबी को छोड़कर)]
2.	विसविवि.केंका .प्लान.2/04.0 9.01/2016- 17	07 जुलाई 2016 (18 जून 2019 तक अद्यतन)	मास्टर निदेश - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण
3.	विसविवि.केंका .एफएसडी.बी सी.सं.9/05.10 .001/2018- 19	17 अक्टूबर 2018	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों सहित और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
4.	विसविवि.केंका .एफएसडी.बी सी.सं.10/05.1 0.001/2018- 19	17 अक्टूबर 2018	मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय) निदेश 2018 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5.	विसविवि.एमए सएमई एण्ड एनएफएस.12/ 06.02.31/20 17-18	24 जुलाई 2017 (25 अप्रैल 2018 तक अद्यतन)	मास्टर निदेश - माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार [अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ((क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर))]
6.	विसविवि.जीए सएसडी.बीसी. सं.04/09.10. 01/2019-20	01 जुलाई 2019	मास्टर परिपत्र - अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर)]
7.	विसविवि.केंका .जीएसएसडी. बीसी.सं.03/09 .09.001/201 9-20	01 जुलाई 2019	मास्टर परिपत्र - अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) को ऋण सुविधाएँ [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक]
8.	विसविवि.जीए	01 जुलाई 2019	मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना

	सएसडी.केंका. बीसी.सं.01/09 .16.03/2019 -20		- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई - एनयूएलएम) [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक]
9.	विसविवि.जीए सएसडी.केंका. बीसी.सं.02/09 .01.01/2019 -20	01 जुलाई 2019	मास्टर परिपत्र - दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) [सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और लघु वित्त बैंक]
10.	विसविवि.एफए लसी.बीसी.सं.2 2/12.01.018 /2016-17	02 मार्च 2017	एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र) और ग्रामीण शाखाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता - नीति समीक्षा, [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक]
11.	विसविवि.एफए लसी.बीसी.सं. 12/12.01.01 8/2016-17	25 अगस्त 2016	वित्तीय साक्षरता केंद्र - संशोधित रिपोर्टिंग प्रारूप [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक]
12.	विसविवि.केंका .एसएफबी.सं.9 /04.09.001/ 2017-18	06 जुलाई 2017	लघु वित्त बैंक - वित्तीय समावेशन और विकास पर दिशानिर्देशों का संग्रह
13.	बैंविवि.सं.बीए पीडी.बीसी.69/ 22.01.001/2 016-17	18 मई 2017	शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों में संशोधन [सभी देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक]
14.	बैंविवि.आरआर बी.बीएल.बीसी .सं.40/31.01. 002/2018- 19	31 मई 2019	शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों में संशोधन (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

केंद्रशासित प्रदेश /राज्यवार एसएलबीसी/यूटीएलबीसी संयोजक बैंक और जिला-वार अग्रणी बैंकों की सूची

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	एसएलबीसी संयोजक बैंक	जिला	जिला अग्रणी बैंक
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र बैंक	1. अनंतपुर	सिंडिकेट बैंक
			2. चित्तूर	इंडियन बैंक
			3. पूर्वी गोदावरी	आंध्र बैंक
			4. गुंटूर	आंध्र बैंक
			5. कडप्पा	सिंडिकेट बैंक
			6. कृष्णा	इंडियन बैंक
			7. कुर्नूल	सिंडिकेट बैंक
			8. नेल्लोर	सिंडिकेट बैंक
			9. प्रकाशम	सिंडिकेट बैंक
			10. श्रीकाकुलम	आंध्र बैंक
			11. विशाखापट्टनम	भारतीय स्टेट बैंक
			12. विजयनगरम	भारतीय स्टेट बैंक
			13. पश्चिमी गोदावरी	आंध्र बैंक
2	अरुणाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	1. अनजाव	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चांगलांग	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पूर्वी कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			5. पूर्वी सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. क्रा दादी	भारतीय स्टेट बैंक
			7. कुरुग कुमाय	भारतीय स्टेट बैंक
			8. लोहित	भारतीय स्टेट बैंक
			9. लोगंडिंग	भारतीय स्टेट बैंक
			10. निचली दिबांग घाटी	भारतीय स्टेट बैंक
			11. निचली सुबानसिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			12. नमसई	भारतीय स्टेट बैंक
			13. पापुन परे	भारतीय स्टेट बैंक
			14. सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			15. तवांग	भारतीय स्टेट बैंक
			16. तिरप	भारतीय स्टेट बैंक
			17. ऊपरी सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			18. ऊपरी सुबनसिरी	भारतीय स्टेट बैंक

3	असम	भारतीय स्टेट बैंक	19. पश्चिम कामेंग	भारतीय स्टेट बैंक
			20. पश्चिम सियांग	भारतीय स्टेट बैंक
			1. बक्सा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. बरपेटा	यूको बैंक
			3. विश्वनाथ	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			4. बोंगाईगांव	भारतीय स्टेट बैंक
			5. कछार	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. चराईदेव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. चिरांग	भारतीय स्टेट बैंक
			8. दारांग	यूको बैंक
			9. धेमाजी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			10. धुबरी	यूको बैंक
			11. डिब्रुगढ़	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			12. गोलपारा	यूको बैंक
			13. गोलाघाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. हलाकांडी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			15. होजाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			16. जोरहाट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			17. कामरूप	यूको बैंक
			18. कामरूप मेट्रो	यूको बैंक
			19. कार्बी आंगलोंग	भारतीय स्टेट बैंक
			20. करीमगंज	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			21. कोकराझार	यूको बैंक
			22. लखीमपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			23. मजुली	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			24. मोरीगांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			25. नागांव	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			26. नलबाड़ी	यूको बैंक
			27. उत्तरी कछार हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			28. शिवसागर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			29. सोनितपुर	यूको बैंक
			30. दक्षिण सलमारा- मंकछार	यूको बैंक
			31. तिनसुकिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			32. उदलगुड़ी	भारतीय स्टेट बैंक

			33. पश्चिम कर्बी अंगलॉग	भारतीय स्टेट बैंक
4	बिहार	भारतीय स्टेट बैंक	1. अररिया	भारतीय स्टेट बैंक
			2. अरवल	पंजाब नेशनल बैंक
			3. औरंगाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			4. बांका	यूको बैंक
			5. बेगूसराय	यूको बैंक
			6. भबुआ (कैमूर)	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भागलपुर	यूको बैंक
			8. भोजपुर (आरा)	पंजाब नेशनल बैंक
			9. बक्सर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. दरभंगा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			11. पूर्वी चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			12. गया	पंजाब नेशनल बैंक
			13. गोपालगंज	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जमुई	भारतीय स्टेट बैंक
			15. जहानाबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			16. कटिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			17. खगड़िया	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			18. किशनगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			19. लखीसराय	पंजाब नेशनल बैंक
			20. मधेपुरा	भारतीय स्टेट बैंक
			21. मधुबनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			22. मुंगेर	यूको बैंक
			23. मुजफ्फरपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नालंदा	पंजाब नेशनल बैंक
			25. नवादा	पंजाब नेशनल बैंक
			26. पटना	पंजाब नेशनल बैंक
			27. पूर्णिया	भारतीय स्टेट बैंक
			28. रोहतास (सासाराम)	पंजाब नेशनल बैंक
			29. सहरसा	भारतीय स्टेट बैंक
			30. समस्तीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			31. सारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			32. शेखपुरा	केनरा बैंक
			33. शिवहर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			34. सीतामढ़ी	बैंक ऑफ बड़ौदा

			35. सिवान	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			36. सुपौल	भारतीय स्टेट बैंक
			37. वैशाली	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			38. पश्चिमी चम्पारण	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
5	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टेट बैंक	1. बालोद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			2. बालोदा बाज़ार	भारतीय स्टेट बैंक
			3. बलरामपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. बस्तर	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बेमेतरा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बीजापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बिलासपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			8. दंतेवाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			9. धमतरी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			10. दुर्ग	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. गरियाबंद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. जंगजीर चंपा	भारतीय स्टेट बैंक
			13. जशपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			14. कबीरधाम	भारतीय स्टेट बैंक
			15. कांकेर	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कौडगांव	भारतीय स्टेट बैंक
			17. कोरबा	भारतीय स्टेट बैंक
			18. कोरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			19. महासमुंद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			20. मुंगेली	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नारायणपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			22. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			23. रायपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			24. राजनंदगांव	बैंक ऑफ बड़ौदा
			25. सुकमा	भारतीय स्टेट बैंक
			26. सूरजपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			27. सरगुजा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
6	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक	1. नॉर्थ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. साउथ गोवा	भारतीय स्टेट बैंक
7	गुजरात	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. अहमदाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			2. अमरेली	भारतीय स्टेट बैंक

		3. आनंद	बैंक ऑफ बड़ौदा
		4. अरावली	बैंक ऑफ बड़ौदा
		5. बनासकांठा	बैंक ऑफ बड़ौदा
		6. भरुच	बैंक ऑफ बड़ौदा
		7. भावनगर	भारतीय स्टेट बैंक
		8. बातोद	बैंक ऑफ बड़ौदा
		9. छोटा (उदयपुर)	बैंक ऑफ बड़ौदा
		10. दाहोद	बैंक ऑफ बड़ौदा
		11. डांग	बैंक ऑफ बड़ौदा
		12. देवभुमी द्वारका	बैंक ऑफ बड़ौदा
		13. गांधीनगर	भारतीय स्टेट बैंक
		14. गीर सोमनाथ	भारतीय स्टेट बैंक
		15. गोधरा (पंचमहल)	बैंक ऑफ बड़ौदा
		16. जामनगर	भारतीय स्टेट बैंक
		17. जूनागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
		18. खेडा	बैंक ऑफ बड़ौदा
		19. कच्छ (भुज)	बैंक ऑफ बड़ौदा
		20. महिसागर	बैंक ऑफ बड़ौदा
		21. मेहसाणा	बैंक ऑफ बड़ौदा
		22. मोरबी	भारतीय स्टेट बैंक
		23. नर्मदा	बैंक ऑफ बड़ौदा

			24. नवसारी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			25. पाटण	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. पोरबंदर	भारतीय स्टेट बैंक
			27. राजकोट	भारतीय स्टेट बैंक
			28. साबरकांटा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			29. सूरत	बैंक ऑफ बड़ौदा
			30. सुरेन्द्रनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			31. तापी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			32. बड़ोदड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. वलसाड़	बैंक ऑफ बड़ौदा
8	हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	1. अंबाला	पंजाब नेशनल बैंक
			2. भिवानी	पंजाब नेशनल बैंक
			3. चरखी दादरी	पंजाब नेशनल बैंक
			4. फरिदाबाद	सिंडिकेट बैंक
			5. फतेहबाद	पंजाब नेशनल बैंक
			6. गुड़गांव	सिंडिकेट बैंक
			7. हिसार	पंजाब नेशनल बैंक
			8. झज्जर	पंजाब नेशनल बैंक
			9. जींद	पंजाब नेशनल बैंक
			10. कैथल	पंजाब नेशनल बैंक
			11. करनाल	पंजाब नेशनल बैंक
			12. कुरुक्षेत्र	पंजाब नेशनल बैंक
			13. महेन्द्रगढ़	पंजाब नेशनल बैंक
			14. मेवात	सिंडिकेट बैंक
			15. पलवल	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स
			16. पंचकुला	पंजाब नेशनल बैंक
			17. पानीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			18. रेवाड़ी	पंजाब नेशनल बैंक
			19. रोहतक	पंजाब नेशनल बैंक

			20. सिरसा	पंजाब नेशनल बैंक
			21. सोनीपत	पंजाब नेशनल बैंक
			22. यमुनानगर	पंजाब नेशनल बैंक
9	हिमाचल प्रदेश	यूको बैंक	1. बिलासपुर	यूको बैंक
			2. चंबा	भारतीय स्टेट बैंक
			3. हमीरपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			4. कांगड़ा (धर्मशाला)	पंजाब नेशनल बैंक
			5. किन्नोर (पेव)	पंजाब नेशनल बैंक
			6. कुल्लु	पंजाब नेशनल बैंक
			7. लाहौल और स्पीति (केल्यांग)	भारतीय स्टेट बैंक
			8. मंडी	पंजाब नेशनल बैंक
			9. शिमला	यूको बैंक
			10. सिरमौर	यूको बैंक
			11. सोलन	यूको बैंक
			12. ऊना	पंजाब नेशनल बैंक
10	जम्मू और कश्मीर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.	1. अनंतनाग	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			2. बांडीपोड़ा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			3. बारामुल्ला	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			4. बडगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			5. डोडा	भारतीय स्टेट बैंक
			6. गंडेरबल	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			7. जम्मू	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कारगील	भारतीय स्टेट बैंक
			9. कठुआ	भारतीय स्टेट बैंक
			10. किश्तवाड़	भारतीय स्टेट बैंक
			11. कुलगाम	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			12. कूपवाड़ा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			13. लदाख (लेह)	भारतीय स्टेट बैंक

			14. पंछ	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			15. पुलवामा	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			16. राजौरी	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			17. रामबन	भारतीय स्टेट बैंक
			18. रियासी	भारतीय स्टेट बैंक
			19. सांबा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. शोपियां	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			21. श्रीनगर	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
			22. उधमपुर	भारतीय स्टेट बैंक
11	झारखंड	बैंक ऑफ इंडिया	1. बोकारो	बैंक ऑफ इंडिया
			2. चतरा	बैंक ऑफ इंडिया
			3. देवघर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. धनबाद	बैंक ऑफ इंडिया
			5. दुमका	इलाहाबाद बैंक
			6. पूर्वी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
			7. गढ़वा	भारतीय स्टेट बैंक
			8. गिरिडीह	बैंक ऑफ इंडिया
			9. गोड्डा	इलाहाबाद बैंक
			10. गुमला	बैंक ऑफ इंडिया
			11. हजारीबाग	बैंक ऑफ इंडिया
			12. जामताड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			13. खूंटी	बैंक ऑफ इंडिया
			14. कोडरमा	बैंक ऑफ इंडिया
			15. लेतेहर	भारतीय स्टेट बैंक
			16. लोहरदगा	बैंक ऑफ इंडिया
			17. पाकुर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. पलामू	भारतीय स्टेट बैंक
			19. रामगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			20. रांची	बैंक ऑफ इंडिया
			21. साहेबगंज	भारतीय स्टेट बैंक
			22. सराईकेला -	बैंक ऑफ इंडिया

			खरसवन	
			23. सिमडेगा	बैंक ऑफ इंडिया
			24. पश्चिमी सिंहभूम	बैंक ऑफ इंडिया
12	कर्नाटक	सिंडिकेट बैंक	1. बागलकोट	सिंडिकेट बैंक
			2. बंगलुरु (ग्रामीण)	केनरा बैंक
			3. बंगलुरु (शहरी)	केनरा बैंक
			4. बेलगाम	सिंडिकेट बैंक
			5. बेल्लारी	सिंडिकेट बैंक
			6. बीदर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. बीजापुर	सिंडिकेट बैंक
			8. चामराजनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			9. चिकबल्लापुर	केनरा बैंक
			10. चिकमंगलूर	कारपोरेशन बैंक
			11. चित्रदुर्गा	केनरा बैंक
			12. दक्षिण केनरा	सिंडिकेट बैंक
			13. दावणगिरी	केनरा बैंक
			14. धारवाड़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			15. गदग	भारतीय स्टेट बैंक
			16. गुलबर्गा	भारतीय स्टेट बैंक
			17. हासन	केनरा बैंक
			18. हावेरी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			19. कोडागू	कारपोरेशन बैंक
			20. कोलार	केनरा बैंक
			21. कोप्पल	भारतीय स्टेट बैंक
			22. मंड्या	बैंक ऑफ बड़ौदा
			23. मैसूर	भारतीय स्टेट बैंक
			24. रायचुर	भारतीय स्टेट बैंक
			25. रामनगर	कारपोरेशन बैंक
			26. शिमोगा	केनरा बैंक
			27. टुमकुर	भारतीय स्टेट बैंक
			28. उडुपी	सिंडिकेट बैंक
			29. उत्तरी केनरा	सिंडिकेट बैंक
			30. यादगीर	भारतीय स्टेट बैंक
13	केरल	केनरा बैंक	1. अलाप्पुझा	भारतीय स्टेट बैंक
			2. एर्नाकुलम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			3. इडुक्की	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

			4. कन्नूर	सिंडिकेट बैंक
			5. कासारगोड	सिंडिकेट बैंक
			6. कोल्लम	इंडियन बैंक
			7. कोट्टायम	भारतीय स्टेट बैंक
			8. कोझीकोडे	केनरा बैंक
			9. मल्लपुरम	केनरा बैंक
			10. पालाक्कड	केनरा बैंक
			11. पथानामथिट्टा	भारतीय स्टेट बैंक
			12. तिरुवनंतपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			13. त्रिसुर	केनरा बैंक
			14. वायनाड (कलेपेट्टा)	केनरा बैंक
14	मध्य प्रदेश	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1. अग्र-मालवा	बैंक ऑफ इंडिया
			2. अलीराजपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			3. अनुपपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. अशोकनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			5. बालाघाट	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. बरवानी	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बेतूल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			8. भिंड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			9. भोपाल	बैंक ऑफ इंडिया
			10. बुरहानपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			11. छतरपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			12. छिंदवाड़ा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			13. दमोह	भारतीय स्टेट बैंक
			14. दातिया	पंजाब नेशनल बैंक
			15. देवास	बैंक ऑफ इंडिया
			16. धार	बैंक ऑफ इंडिया
			17. डिंडोरी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			18. पूर्वी निमाड़ (खांडवा)	बैंक ऑफ इंडिया
			19. गुना	भारतीय स्टेट बैंक
			20. ग्वालियर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			21. हरदा	भारतीय स्टेट बैंक
			22. होशंगाबाद	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			23. इंदौर	बैंक ऑफ इंडिया
			24. जबलपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

			25. झाबुआ	बैंक ऑफ बड़ौदा
			26. कटनी	भारतीय स्टेट बैंक
			27. मंडला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			28. मंदसौर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			29. मुरैना	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			30. नरसिंहपुर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			31. नीमच	भारतीय स्टेट बैंक
			32. निवाड़ी	भारतीय स्टेट बैंक
			33. पन्ना	भारतीय स्टेट बैंक
			34. रायसेन	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			35. राजगढ़	बैंक ऑफ इंडिया
			36. रतलाम	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			37. रीवा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			38. सागर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			39. सतना	इलाहाबाद बैंक
			40. सिवनी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			41. शाहडोल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			42. शाजापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			43. श्योपुर कला	भारतीय स्टेट बैंक
			44. शिवपुरी	भारतीय स्टेट बैंक
			45. सीधी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			46. सिहोर	बैंक ऑफ इंडिया
			47. सिंगरौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			48. टीकमगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			49. उज्जैन	बैंक ऑफ इंडिया
			50. उमरिया	भारतीय स्टेट बैंक
			51. विदिशा	भारतीय स्टेट बैंक
			52. पश्चिमी निमाड़ (खरगोन)	बैंक ऑफ इंडिया
15	महाराष्ट्र	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1. अहमदनगर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			2. अकोला	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			3. अमरावती	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			4. औरंगाबाद	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			5. बीड	भारतीय स्टेट बैंक
			6. भंडारा	बैंक ऑफ इंडिया
			7. बुलढाणा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

			8. चंद्रपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			9. धुले	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. गडचिरोली	बैंक ऑफ इंडिया
			11. गोंदिया	बैंक ऑफ इंडिया
			12. हिंगोली	भारतीय स्टेट बैंक
			13. जलगांव	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			14. जालना	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			15. कोल्हापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			16. लातूर	भारतीय स्टेट बैंक
			17. मुंबई	बैंक ऑफ इंडिया
			18. मुंबई उपनगरीय	बैंक ऑफ इंडिया
			19. नागपुर	बैंक ऑफ इंडिया
			20. नांदेड	भारतीय स्टेट बैंक
			21. नंदुरबार	भारतीय स्टेट बैंक
			22. नाशिक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			23. उस्मानाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			24. पालघर	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			25. परभणी	भारतीय स्टेट बैंक
			26. पुणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			27. रायगड	बैंक ऑफ इंडिया
			28. रत्नागिरी	बैंक ऑफ इंडिया
			29. सांगली	बैंक ऑफ इंडिया
			30. सातारा	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			31. सिंधुदुर्ग	बैंक ऑफ इंडिया
			32. सोलापुर	बैंक ऑफ इंडिया
			33. ठाणे	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
			34. वर्धा	बैंक ऑफ इंडिया
			35. वाशिम	भारतीय स्टेट बैंक
			36. यवतमाल	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16	मणिपुर	भारतीय स्टेट बैंक	1. बिश्नुपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. चंदेल	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चुराचांदपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			4. इम्फाल ईस्ट	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. इम्फाल वेस्ट	भारतीय स्टेट बैंक
			6. जिरीबम	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. काकचींग	भारतीय स्टेट बैंक

			8. कामजोंग	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			9. कांगपोकपी	भारतीय स्टेट बैंक
			10. नोन्नी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			11. फेरङ्गवल	भारतीय स्टेट बैंक
			12. सेनापति	भारतीय स्टेट बैंक
			13. तेमंगलॉग	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. तेंगनौपाल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			15. थोबल	भारतीय स्टेट बैंक
			16. उखरूल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
17	मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्वी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			2. पूर्व जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			3. पूर्वी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			4. जैन्तियां हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			5. उत्तरी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			6. री भोई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. दक्षिणी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			8. दक्षिणी पश्चिम गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			10. पश्चिमी गारो हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिमी खासी हिल्स	भारतीय स्टेट बैंक
18	मिज़ोरम	भारतीय स्टेट बैंक	1. ऐजवाल	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चम्फाई	भारतीय स्टेट बैंक
			3. छिम्तुइपुई सइहा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. कोलसिब	भारतीय स्टेट बैंक
			5. लांग्तलाई	भारतीय स्टेट बैंक
			6. लुंगलेई	भारतीय स्टेट बैंक
			7. मामित	भारतीय स्टेट बैंक
			8. सेरछिप	भारतीय स्टेट बैंक
19	नागालैंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. दीमापुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. खिफिरे	भारतीय स्टेट बैंक
			3. कोहिमा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. लोंगलेंग	भारतीय स्टेट बैंक

			5. मोकोकचुंग	भारतीय स्टेट बैंक
			6. मोन	भारतीय स्टेट बैंक
			7. पेरेन	भारतीय स्टेट बैंक
			8. फेक	भारतीय स्टेट बैंक
			9. तुएनसांग	भारतीय स्टेट बैंक
			10. वोखा	भारतीय स्टेट बैंक
			11. जुन्हेबोतो	भारतीय स्टेट बैंक
20	ओडिशा	यूको बैंक	1. अंगुल	यूको बैंक
			2. बालासोर	यूको बैंक
			3. बरगाह	भारतीय स्टेट बैंक
			4. भद्रक	यूको बैंक
			5. बोलंगीर (बालांगीर)	भारतीय स्टेट बैंक
			6. बौध	भारतीय स्टेट बैंक
			7. कटक	यूको बैंक
			8. देवगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			9. धंकानाल	यूको बैंक
			10. गजपति	आंध्र बैंक
			11. गंजम	आंध्र बैंक
			12. जगतसिंहपुर	यूको बैंक
			13. जाजपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			14. झारसुगुडा	भारतीय स्टेट बैंक
			15. कालाहांडी	भारतीय स्टेट बैंक
			16. कंधमाल	भारतीय स्टेट बैंक
			17. केंद्रपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक

			18. क्यौझर	बैंक ऑफ इंडिया
			19. खोर्दा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. कोरापुट	भारतीय स्टेट बैंक
			21. माल्कनगिरी	भारतीय स्टेट बैंक
			22. मयुरभंज	बैंक ऑफ इंडिया
			23. नबरंगपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			24. नयागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			25. नौपाड़ा	भारतीय स्टेट बैंक
			26. पूरी	यूको बैंक
			27. रायगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			28. सम्बलपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			29. सोनपुर	भारतीय स्टेट बैंक
			30. सुंदरगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
21	पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक	1. अमृतसर	पंजाब नेशनल बैंक
			2. बरनाला	भारतीय स्टेट बैंक
			3. भटिंडा	भारतीय स्टेट बैंक
			4. फरिदा कोट	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			5. फतेहगढ़ साहिब	भारतीय स्टेट बैंक
			6. फाजिल्का	पंजाब नेशनल बैंक
			7. फिरोजपुर	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
			8. गुरदासपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			9. होशियारपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			10. जालंधर	यूको बैंक
			11. कपुरथला	पंजाब नेशनल बैंक
			12. लुधियाना	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
			13. मानसा	भारतीय स्टेट बैंक
			14. मोगा	पंजाब एण्ड सिंध बैंक

			15. मुक्तसर	भारतीय स्टेट बैंक
			16. नवानशहर	पंजाब नेशनल बैंक
			17. पठाणकोट	पंजाब नेशनल बैंक
			18. पटियाला	भारतीय स्टेट बैंक
			19. रोपड़	यूको बैंक
			20. साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)	पंजाब नेशनल बैंक
			21. संगरूर	भारतीय स्टेट बैंक
			22. तरण तारण	पंजाब नेशनल बैंक
22	राजस्थान	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. अजमेर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			2. अलवर	पंजाब नेशनल बैंक
			3. बंसवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. बारां	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			5. बाड़मेर	भारतीय स्टेट बैंक
			6. भरतपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			7. भिलवाड़ा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. बिकानेर	भारतीय स्टेट बैंक
			9. बूंदी	बैंक ऑफ बड़ौदा
			10. चित्तोडगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			11. चुरू	बैंक ऑफ बड़ौदा
			12. दौसा	यूको बैंक
			13. ढोलपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			14. डुंगरपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			15. हनुमानगढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			16. जयपुर	यूको बैंक
			17. जैसलमेर	भारतीय स्टेट बैंक
			18. जालोर	भारतीय स्टेट बैंक
			19. झालावाड़	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			20. झुंझनु	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. जोधपुर	यूको बैंक
			22. किरोली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			23. कोटा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			24. नागपुर	यूको बैंक
			25. पाली	भारतीय स्टेट बैंक
			26. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			27. राजसमंद	भारतीय स्टेट बैंक

			28. सवाई माधोपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			29. सीकर	पंजाब नेशनल बैंक
			30. सीरोही	भारतीय स्टेट बैंक
			31. श्री गंगानगर	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
			32. टोंक	बैंक ऑफ बड़ौदा
			33. उदयपुर	भारतीय स्टेट बैंक
23	सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक	1. पूर्व सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दक्षिण सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
			4. पश्चिम सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
24	तमिलनाडु	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1. अरियालुर	भारतीय स्टेट बैंक
			2. चैन्नै	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			3. कोईम्बतूर	केनरा बैंक
			4. कड्डालोर	इंडियन बैंक
			5. धर्मपुरी	इंडियन बैंक
			6. डिंडीगुल	केनरा बैंक
			7. इरोड	केनरा बैंक
			8. कांचीपुरम	इंडियन बैंक
			9. कन्याकुमारी	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			10. करूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			11. कृष्णगीरी	इंडियन बैंक
			12. मदुराई	केनरा बैंक
			13. नागापट्टनम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			14. नमक्कल	इंडियन बैंक
			15. नीलगिरी	केनरा बैंक
			16. पेरंबलुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			17. पुदुकोट्टाई	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			18. रामनाथपुरम	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			19. सेलेम	इंडियन बैंक
			20. शिवगंगा	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			21. तंजावुर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			22. थेनी	केनरा बैंक
			23. तिरुचिरापल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			24. तिरूनलवेल्ली	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			25. तिरुप्पूर	केनरा बैंक

			26. तिरुवल्लुर	इंडियन बैंक
			27. तिरुवन्नमलै	इंडियन बैंक
			28. तिरुवरूर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
			29. तुतीकोरिन	भारतीय स्टेट बैंक
			30. वेल्लौर	इंडियन बैंक
			31. विलुप्पुरम	इंडियन बैंक
			32. विरुधनगर	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
25	तेलंगाना	भारतीय स्टेट बैंक	1. अदिलाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			2. भद्राद्री	भारतीय स्टेट बैंक
			3. हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			4. जगीतल	आंध्र बैंक
			5. जनगांव (न्यू)	भारतीय स्टेट बैंक
			6. जयाशंकर	भारतीय स्टेट बैंक
			7. जोगुलंबा	आंध्र बैंक
			8. कमारेड्डी	सिंडीकेट बैंक
			9. करीमनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			10. खम्मम	भारतीय स्टेट बैंक
			11. कोमराम भीम	भारतीय स्टेट बैंक
			12. महबुबाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			13. मेहबूबनगर	भारतीय स्टेट बैंक
			14. मनचेरीअल	आंध्र बैंक
			15. मेडक	भारतीय स्टेट बैंक
			16. मेडचल-मलकजगिरी	केनरा बैंक
			17. मुलुगु	भारतीय स्टेट बैंक

			18. नगरकुरन्नौल	आंध्र बैंक
			19. नलगोंडा	भारतीय स्टेट बैंक
			20. नारायणपेट	भारतीय स्टेट बैंक
			21. निर्मल	भारतीय स्टेट बैंक
			22. निजामाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			23. पेडाप्पली	आंध्र बैंक
			24. राजन्ना	आंध्र बैंक
			25. रंगा रेड्डी	भारतीय स्टेट बैंक
			26. संगरेड्डी	सिंडीकेट बैंक
			27. सिद्धीपेट	आंध्र बैंक
			28. सूर्यपेट	भारतीय स्टेट बैंक
			29. विकाराबाद	भारतीय स्टेट बैंक
			30. वानापार्ती	आंध्र बैंक
			31. वारंगल (ग्रामीण)	आंध्र बैंक
			32. वारंगल (शहरी)	भारतीय स्टेट बैंक
			33. यादद्री	केनरा बैंक
26	त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. धालाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			2. गोमती	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			3. खोवाई	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			4. उत्तरी त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			5. सिपाहजाला	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. दक्षिणी त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			7. उनाकोटी	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			8. पश्चिम त्रिपुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27	उत्तराखंड	भारतीय स्टेट बैंक	1. अलमोड़ा	भारतीय स्टेट बैंक

			2. बागेश्वर	भारतीय स्टेट बैंक
			3. चमोली	भारतीय स्टेट बैंक
			4. चंपावत	भारतीय स्टेट बैंक
			5. देहरादून	पंजाब नेशनल बैंक
			6. हरिद्वार	पंजाब नेशनल बैंक
			7. नैनीताल	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. पौड़ी गढ़वाल	भारतीय स्टेट बैंक
			9. पिथौरागढ़	भारतीय स्टेट बैंक
			10. रुद्रप्रयाग	भारतीय स्टेट बैंक
			11. टिहरी गढ़वाल (नई टिहरी)	भारतीय स्टेट बैंक
			12. उधम सिंह नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			13. उत्तर काशी	भारतीय स्टेट बैंक
28	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. आगरा	केनरा बैंक
			2. अलिगढ़	केनरा बैंक
			3. इलाहाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
			4. आंबेडकर नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			5. औरैया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			6. आजमगढ़	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			7. बागपत	सिंडिकेट बैंक
			8. बहराइच	इलाहाबाद बैंक
			9. बलिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. बलरामपुर	इलाहाबाद बैंक
			11. बांदा	इलाहाबाद बैंक
			12. बाराबंकी	बैंक ऑफ इंडिया
			13. बरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			14. बस्ती	भारतीय स्टेट बैंक
			15. भीम नगर	सिंडिकेट बैंक
			16. बिजनौर	पंजाब नेशनल बैंक
			17. बदायूं	पंजाब नेशनल बैंक
			18. बुलंदशहर	पंजाब नेशनल बैंक
			19. चंदौली	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			20. छत्रपती शाहूजी महाराज नगर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			21. चित्रकूट	इलाहाबाद बैंक
			22. देवरिया	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

		23. एटा	केनरा बैंक
		24. इटावा	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
		25. फैजाबाद	बैंक ऑफ बड़ौदा
		26. फर्रुखाबाद	बैंक ऑफ इंडिया
		27. फतेहपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
		28. फिरोज़ाबाद	भारतीय स्टेट बैंक
		29. गौतम बुद्ध नगर	सिंडिकेट बैंक
		30. गाज़ियाबाद	सिंडिकेट बैंक
		31. गाज़ीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
		32. गोंडा	इलाहाबाद बैंक
		33. गोरखपुर	भारतीय स्टेट बैंक
		34. हमीरपुर	इलाहाबाद बैंक
		35. हरदोई	बैंक ऑफ इंडिया
		36. जालौन	इलाहाबाद बैंक
		37. जौनपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
		38. झांसी	पंजाब नेशनल बैंक
		39. ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	सिंडिकेट बैंक
		40. कनौज़	बैंक ऑफ इंडिया
		41. कानपुर देहात - ग्रामीण	बैंक ऑफ बड़ौदा
		42. कानपुर नगर - शहरी	बैंक ऑफ बड़ौदा
		43. कांसी राम नगर (कासनगंज)	केनरा बैंक
		44. कौशाम्बी	बैंक ऑफ बड़ौदा
		45. कुशी नगर (पडड़ोना)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
		46. लखीमपुर - खेरी	इलाहाबाद बैंक
		47. ललितपुर	पंजाब नेशनल बैंक
		48. लखनऊ	बैंक ऑफ इंडिया
		49. महामाया नगर (हाथरस)	केनरा बैंक
		50. महाराजगंज	भारतीय स्टेट बैंक
		51. माहोबा	इलाहाबाद बैंक
		52. मैनपुरी	बैंक ऑफ इंडिया

			53. मथुरा	सिंडिकेट बैंक
			54. मऊ (मऊ नाथ बहंजन)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			55. मेरठ	सिंडिकेट बैंक
			56. मिर्जापुर	इलाहाबाद बैंक
			57. मोरादाबाद	सिंडिकेट बैंक
			58. मुज़फ्फरनगर	पंजाब नेशनल बैंक
			59. पंचशील नगर	सिंडिकेट बैंक
			60. पिलीभित	बैंक ऑफ बड़ौदा
			61. प्रबुध नगर (श्यामली)	पंजाब नेशनल बैंक
			62. प्रतापगढ़	बैंक ऑफ बड़ौदा
			63. रायबरेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
			64. रामपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			65. सहरानपुर	पंजाब नेशनल बैंक
			66. संत कबीर नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			67. संत रवीदास नगर (भदोही)	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
			68. शहाजानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			69. श्रावस्ती	इलाहाबाद बैंक
			70. सिद्धार्थ नगर	भारतीय स्टेट बैंक
			71. सीतापुर	इलाहाबाद बैंक
			72. सोनभद्र	इलाहाबाद बैंक
			73. सुलतानपुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
			74. उन्नाव	बैंक ऑफ इंडिया
			75. वाराणसी	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
29	पश्चिम बंगाल	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1. अलीपुरदुआर	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			2. बांकुरा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			3. वीरभूम	यूको बैंक
			4. कूच बिहार	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			5. दक्षिण दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			6. दार्जिलिंग	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			7. हुगली	यूको बैंक
			8. हावड़ा	यूको बैंक
			9. जलपईगुड़ी	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
			10. झाड़ग्राम	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

			11. कलीमपोंग	भारतीय स्टेट बैंक
			12. कोलकाता	भारतीय स्टेट बैंक
			13. मालदा	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			14. मुर्शिदाबाद	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			15. नदिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			16. उत्तर 24 परगना	इलाहाबाद बैंक
			17. पश्चिम मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			18. पश्चिम बर्दवान	भारतीय स्टेट बैंक
			19. पूर्व बर्दवान	यूको बैंक
			20. पूर्व मदिनापुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			21. पुरुलिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			22. दक्षिण 24 परगना	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
			23. उत्तर दिनाजपुर	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक	1. निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक
			2. उत्तर और मध्य अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
			3. दक्षिण अंडमान	भारतीय स्टेट बैंक
31	चंडीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	1. चंडीगढ़ (ग्रामीण)	पंजाब नेशनल बैंक
32	दादरा और नगर हवेली	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. दादरा और नगर हवेली	बैंक ऑफ बड़ौदा
33	दमण और दीव	बैंक ऑफ बड़ौदा	1. दमण	भारतीय स्टेट बैंक
			2. दीव	भारतीय स्टेट बैंक
34	दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1. सेंट्रल दिल्ली	केनरा बैंक
			2. पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			3. नई दिल्ली	केनरा बैंक
			4. उत्तर दिल्ली	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स
			5. उत्तर-पूर्व दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			6. उत्तर पश्चिम दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक
			7. शाहदरा	बैंक ऑफ बड़ौदा
			8. दक्षिण दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			9. दक्षिण पूर्व दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			10. दक्षिण पश्चिम दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक
			11. पश्चिम दिल्ली	केनरा बैंक

35	लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक	1. लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक
36	पुदुचेरी	इंडियन बैंक	1. पुदुचेरी	इंडियन बैंक

एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी वेबसाइट - विषयवस्तु की निदर्शी सूची

मुख्य मद	उप मेनू	विषयवस्तु	अनुबंध
हमारे बारे में	पृष्ठभूमि	राज्य के विकास और उसके कामकाज के लिए एक समन्वयकारी मंच के रूप में एसएलबीसी - संक्षिप्त लेख	
	एसएलबीसी -सदस्य	एसएलबीसी सदस्यों के नाम और संपर्क विवरण	II-1
राज्य प्रोफाइल	भौगोलिक मानचित्र	संबंधित जिले के नाम पर क्लिक करने पर जिले के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को भारत सरकार की वेबसाइट, एनआईसी पोर्टल पर संबंधित जिले को सहबद्ध किया जाए	
	बुनियादी सुविधाएं	बिजली, परिवहन, सड़क और रेल आदि	
	कृषि	खेती के रकबे, फसल पद्धति, सिंचाई सुविधाओं, कृषि यंत्रीकरण, संबद्ध गतिविधियां, डेयरी, मत्स्य पालन, फलोद्यान, बागवानी आदि,	
	उद्योग	औद्योगीकरण, एमएसएमई की स्थिति, एमएसएमई की रुग्णता, कारण, पुनर्वास	
	बैंकिंग	प्रत्येक जिलों के कुल गांवों की तुलना में बैंकिंग सुविधायुक्त गांवों की स्थिति	II-2
एसएलबीसी - बैठकें	बैठकों का कैलेंडर	चालू कैलेंडर वर्ष के लिए एसएलबीसी बैठकों का कार्यक्रम	II-3
	एसएलबीसी - की गई बैठकें	एजेंडा और कार्यविवरण के साथ आयोजित एसएलबीसी की बैठकों के ब्यौरे	II-4
अग्रणी बैंक योजना	अग्रणी बैंक - जिला वार	एलडीम के नाम और संपर्क विवरण के साथ अग्रणी बैंकों के ब्यौरे	II-5
	एसीपी-लक्ष्य	वार्षिक ऋण योजना - वर्ष के लिए लक्ष्य	II-6
	एसीपी-उपलब्धि	वार्षिक ऋण योजना - क्षेत्रवार उपलब्धि	II-7
	सीडी अनुपात	सीडी अनुपात की जिलावार स्थिति	II-8
सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	केंद्र सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों से जोड़ा जाना है।	
	राज्य सरकार प्रायोजित कार्यक्रम	राज्य सरकार प्रायोजित प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण	
बैंकिंग नेटवर्क	बैंकिंग नेटवर्क-सारांश	बैंकिंग सेवाओं का माध्यम	II-9
	बैंकिंग आउटलेट - शाखाएं - ब्यौरे	शाखाओं का जिलावार विवरण	II-10
	बैंकिंग आउटलेटों -	बीसी आउटलेटों का जिलावार विवरण	II-11

	बीसी-ब्योरे		
	बैंकिंग आउटलेट-अन्य माध्यम - ब्योरे	अन्य माध्यमों से प्रदान किए गए जिलावार बैंकिंग सेवाएँ	II-12
वित्तीय समावेशन	एसएचजी बैंक सहलग्नता	बचत और ऋण सहलग्नता स्वयं सहायता समूहों की संख्या की बैंकवार स्थिति	II-13
	एफएलसी	एफएलसी पर डेटाबेस	II-14
	आरसेटी	आरसेटी की जिलावार स्थिति	II-15
डाटा प्रस्तुत करना	वेब आधारित इंटरफेस	लीड बैंकों और बैंकों के नियंत्रक कार्यालयों द्वारा एसएलबीसी को डेटा प्रस्तुत करना	
लिंक	संबंधित वेबसाइट का लिंक	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार, भारतीय बैंक संघ, बैंकिंग लोकपाल, बैंकों और अन्य संबंधित वेबसाइटों के लिए लिंक	

एसएलबीसी - सदस्य सूची							
----- को अद्यतित							
क्र.सं.	नाम	पदनाम	संगठन	संपर्क के ब्योरे			टिप्पणियां
				फोन	ई-मेल	पता	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							

बैंकिंग सेवाएं - शामिल गांव									
----- को समाप्त तिमाही									
क्र. सं.	जिले का नाम	जिला कूट सं. (बीएसआर)	गांवों की कुल संख्या			बैंकिंग आउटलेट युक्त गांवों की संख्या (बीआर/बीसी/अन्य)			टिप्पणियां
1			>2000	<2000	>5000	>2000	<2000	>5000	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
	जोड़								

एसएलबीसी - कैलेण्डर वर्ष ----- के लिए बैठकों का कैलेंडर				
क्र.सं.	वर्ष	तिमाही	बैठक की नियत तारीख	टिप्पणियां
1			दिन.माह.वर्ष	
2				
3				
4				

एसएलबीसी - की गई बैठकों के ब्योरे									
क्र.सं.	एसएलबीसी बैठक सं. *	बैठक की तारीख - कार्यसूची सहबद्ध	उपस्थित सदस्य (नाम और पदनाम)				बैठक के कार्यविवरण	कैलेण्डर के अनुसार बैठक की नियत तारीख	टिप्पणियां
			भारिबैं	संयोजक बैंक	भारत सरकार	राज्य सरकार	कार्यविवरण		
1		दिन.माह.वर्ष					कार्यविवरण	दिन.माह.वर्ष	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

* अप्रैल 2010 के बाद हुई एसएलबीसी बैठकें

[illegible]

[illegible]

અનુબંધ 11-7

[illegible]

अनुबंध II-8

ऋण जमा अनुपात						
----- समाप्त तिमाही				(राशि हजार रुपए में)		
क्र.सं.	जिले का नाम	जिले की कूट सं.	जमाराशियां	ऋण	सीडी अनुपात	टिप्पणियां
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

बैंकिंग नेटवर्क - सारांश						
----- समाप्त तिमाही						
क्र.सं.	बैंक का नाम	बैंकिंग के माध्यम				टिप्पणियां
		शाखा	बीसी	अन्य माध्यम	जोड़	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
	वाणिज्य बैंक - उप जोड़					
1						
2						
3						
	क्षेत्रीय बैंक - उप जोड़					
1						
2						
3						
4						
5						
	सहकारी बैंक - उप जोड़					
1						
2						
3						
	लघु वित्त बैंक - उप जोड़					
1						
2						
3						
	भुगतान बैंक					
	समस्त बैंक - जोड़					

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - शाखाएं

----- को समाप्त तिमाही

[illegible]

बैंकिंग आउटलेटों के ब्यौरे - बीसी

----- को समाप्त तिमाही

[illegible]

अनुबंध II-12

[illegible]

एसएचजी बैंक सहलग्नता कार्यक्रम					
----- को समाप्त तिमाही			(संख्या वास्तविक, राशि हजार रुपए में)		
क्र.सं.	बैंक का नाम	बचत सहबद्ध		ऋण सहबद्ध	
		एसएचजी की संख्या	बकाया राशि	एसएचजी की संख्या	बकाया राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	वाणिज्य बैंक - उप जोड़				
1					
2					
3					
	क्षेत्रीय बैंक - उप जोड़				
1					
2					
3					
4					
5					
	सहकारी बैंक - उप जोड़				
1					
2					
3					
	लघु वित्त बैंक - उप जोड़				
	समस्त बैंक - जोड़				

*नोट: एफएलसी कोड पांच अंकों का एक विशिष्ट कोड होगा जिसमें प्रथम तीन अंक जिला कोड होगा (जिला मास्टर शीर्षक शीट का संदर्भ लें) और अंतिम दो अंक एसएलबीसी संयोजक बैंक द्वारा दिया जाना है जो कि एफएलसी का प्रतिनिधित्व करेगा और 01 से शुरू होगा तथा प्रत्येक जिले के लिए क्रमिक रूप से आगे बढ़ता जाएगा। (उदाहरण के लिए, अगर किसी जिले में चार एफएलसी हैं तो एफएलसी कोड xxx01, xxx02, xxx03 तथा xxx04 होगा जहां xxx जिला मास्टर शीट के अनुसार जिला कोड का प्रतिनिधित्व करेगा)

[illegible]

एलबीएस - एमआईएस - I

----- को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक क्रेडिट (ऋण) प्लान (एसीपी) के लक्ष्य दर्शानेवाला विवरण

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

क्र.सं.	क्षेत्र	एसीपीके अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य	
1	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	संख्या	राशि
1क	कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)		
1क (i)	कृषि ऋण		
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना		
1क(iii)	अधीनस्थ गतिविधियां		
1बी	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)		
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा)		
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा)		
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा)		
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग		
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य		
1ग	निर्यात ऋण		
1घ	शिक्षा		
1ङ	आवास		
1च	सामाजिक मूलभूत संरचना		
1छ	नवीकरणीय ऊर्जा		
1ज	अन्य		
2	उप जोड =1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ +1ज		
3	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण		
4	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		
4क	कृषि		
4ख	शिक्षा		
4ग	आवास		
4घ	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण		

4 ड	अन्य		
5	उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च		
	जोड़=2+5		

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरूरत है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

एलबीएस - एमआईएस -II

..... को समाप्त तिमाही के लिए संवितरण और बकाया दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम :

क्र. सं.	क्षेत्र	चालू तिमाही के अंत तक संवितरण		चालू तिमाही के अंत तक बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र				
1क	कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)				
1क (i)	कृषि ऋण				
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना				
1क(iii)	अधीनस्थ गतिविधियां				
1बी	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)				
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग				
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य				
1ग	निर्यात ऋण				
1घ	शिक्षा				
1ङ	आवास				
1च	सामाजिक मूलभूत संरचना				
1छ	नवीकरणीय ऊर्जा				
1ज	अन्य				
2	उप जोड़ =1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ+1ज				
3	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण				
4	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र				
4क	कृषि				
4ख	शिक्षा				
4ग	आवास				
4घ	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण				
4ङ	अन्य				
5	उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च				

	जोड़=2+5				
--	----------	--	--	--	--

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरूरत है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंकों, निजी क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

एलबीएस - एमआईएस - III

..... को समाप्त तिमाही के लिए लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि दर्शानेवाला विवरण

(संख्या वास्तविक, राशि हजार रूपए में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम:

क्र. सं.	क्षेत्र	एसीपी के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य		चालू तिमाही के अंत तक उपलब्धि (%)	
1	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1क	कृषि = 1क(i)+1क(ii)+1क(iii)				
1क (i)	कृषि ऋण				
1क(ii)	कृषि मूलभूत संरचना				
1क(iii)	अधीनस्थ गतिविधियां				
1बी	माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम = 1ख(i)+1ख(ii)+1ख(iii)+1ख(iv)+1ख(v)				
1ख(i)	माइक्रो उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(ii)	लघु उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(iii)	मध्यम उद्यम (विनिर्माण+सेवा)				
1ख(iv)	खादी और ग्रामोद्योग				
1ख(v)	एमएसएमई के तहत अन्य				
1ग	निर्यात ऋण				
1घ	शिक्षा				
1ङ	आवास				
1च	सामाजिक मूलभूत संरचना				
1छ	नवीकरणीय ऊर्जा				
1ज	अन्य				
2	उप जोड =1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ+1ज				
3	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए ऋण				
4	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र				
4क	कृषि				
4ख	शिक्षा				
4ग	आवास				
4घ	गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण				
4ङ	अन्य				

5	उप जोड़=4क+4ख+4ग+4घ+4ङ+4च				
	जोड़=2+5				

टिप्पणी : डाटा को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी आदि जैसे अन्य बैंकों के लिए अलग-अलग समूहबद्ध किए जाने की जरूरत है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डाटा को सरकारी क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों में समूहबद्ध किया जाना चाहिए ताकि बैंक समूहवार स्थिति का पता चले।

परिशिष्ट**परिपत्रों की सूची**

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.2595/02 .01.001/2018-19	24.06.2019	5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.2431/02 .01.001/2018-19	28.05.2019	भुगतान बैंक - अग्रणी बैंक योजना के तहत सहभागिता
3	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2018-19	25.03.2019	एसएलबीसी / यूटीएलबीसी संयोजक का दायित्व - गुजरात राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली
4	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.3712/02 .01.001/2017-18	05.06.2018	5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने हेतु रोडमैप
5	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.3671/02 .01.001/2017-18	30.05.2018	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना (एमआईएस)
6	आरबीआई/2017-2018/156 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.001/2017-18	06.04.2018	अग्रणी जिला प्रबंधकों (एलडीएम) की प्रभावकारिता को बढ़ाने के संबंध में अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु
7	आरबीआई/2017-2018/155 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.19/02.01.001/2017-18	06.04.2018	अग्रणी बैंक योजना को बेहतर बनाना - एसएलबीसी संयोजक बैंकों/ अग्रणी बैंकों के लिए कार्रवाई बिंदु
8	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं.3017/02 .01.001/2017-18	02.04.2018	लघु वित्त बैंक - अग्रणी बैंक योजना के तहत सहभागिता
9	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.31/02.01.001/2016-17	08.06.2017	5000 से अधिक की आबादी वाले बैंकरहित गाँवों के लिए रोडमैप का शाखा प्राधिकरण नीति पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ संरेखण
10	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.16/02.01.001/2016-17	29.09.2016	किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना
11	विसविवि.केंका.एलबीएस.सं. 5673/02.01.001/2015-16	20.05.2016	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआईएस) को मजबूत बनाना

12	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.01.001/2015-16	14.01.2016	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक में सीडिंग आधार का लेखा-स्पष्टीकरण
13	विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.82/02.01.001/2015-16	31.12.2015	5000 से अधिक आबादी वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक शाखारहित गांवों में इमारती शाखाएं खोलने हेतु रोडमैप
14	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.93/02.01.001/2013-14	14.03.2014	वार्षिक ऋण योजना - नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए क्षमता संबद्ध प्लान (पीएलपी)
15	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14	09.07.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन - दिशानिर्देश
16	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.12/02.01.001/2012-13	11.05.2013	अग्रणी बैंक योजना - महानगरीय केन्द्रों में अग्रणी बैंक दायित्व सौंपना
17	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.75/02.01.001/2012-13	10.05.2013	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - कार्यान्वयन
18	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68/02.01.001/2012-13	19.03.2013	अग्रणी बैंक योजना - निगरानी सूचना प्रणाली (एमआइएस) को मजबूत बनाना
19	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.86/02.01.001/2011-12	19.06.2012	रोडमैप - 2000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
20	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.68/02.01.001/2011-12	29.03.2012	एसएलबीसी की वेबसाइट - सूचना / डाटा का मानकीकरण
21	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.67/02.01.001/2011-12	20.03.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) - एमएसएमई - विकास संस्था (डीआई) के निदेशक को शामिल करना
22	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.60/02.08.001/2011-12	17.02.2012	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समितियों (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों (एमपी) विधान सभा सदस्यों (एमएलए) / जिला पंचायत प्रमुखों जैसे जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना
23	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.74/02.19.010/2010-11	30.05.2011	इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) योजना और वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की रूपरेखा के अंतर्गत गांव आबंटित करने के मुद्दों का समाधान
24	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.44/02.19.10/2010-11	29.12.2010	अग्रणी बैंक योजना - राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) बैठकों का आयोजन
25	ग्राआक्रवि.केंका.एलबीएस.एचएलसी.बीसी.सं.21/02.19.10/2010-11	16.09.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग

			सेवाएं उपलब्ध कराना
26	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.15/01.19.10/2010-11	26.07.2010	अग्रणी बैंक योजना - एसएलबीसी बैठकों का पुनरूद्धरण
27	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.57/02.19.10/2009-10	02.03.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट - सिफरिशों का कार्यान्वयन - अग्रणी बैंक और एससीबी
28	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.57/02.19.10/2010-11	26.02.2010	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट -सिफरिशों का कार्यान्वयन - एसएलबीसी संयोजक बैंक
29	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.एचएलसी.बीसी.सं.43/02.19.10/2009-10	27.11.2009	अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
30	ग्राआक्रवि.एलबीएस.कैका.बीसी.सं.111/02.13.03/2008-09	02.06.2009	निर्यात संवर्द्धन के लिए एसएलबीसी की उप समिति
31	ग्राआक्रवि.एलबीएस.कैका.बीसी.सं.79/02.01.01/2008-09	30.12.2008	एसएलबीसी बैठकों में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मामलों को शामिल करना
32	ग्राआक्रवि.एलबीएस.कैका.बीसी.सं.33/02.18.02/2006-07	15.11.2006	अग्रणी बैंक योजना - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य स्तरीय/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना
33	ग्राआक्रवि.एलबीएस.बीसी.सं.20/02.01.01/2006-07	30.08.2006	नो फ्रील खातों और जीसीसी जारी करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन
34	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.52/02.02.001/2005-06	06.12.2005	एग्री क्लिनिक एवं एग्री बिजनेस सेटर योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण - बैठकों में समीक्षा
35	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.50/02.02.01/2005-06	06.12.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में भाग लेना
36	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.47/02.02.001/2005-06	09.11.2005	ऋण जमा अनुपात - ऋण जमा अनुपात पर विशेषज्ञ दल की सिफरिशों का कार्यान्वयन
37	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2005-06	06.07.2005	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों / जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना- स्वयं सहायता समूहों के ऋण सहबद्धता कार्यक्रमों से संबंधित कार्य
38	ग्राआक्रवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.93/02.01.001/2004-05	11.04.2005	ग्रामीण उधार - नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी क्षमता संबद्ध योजनाओं (पीएलपी) पर आधारित वार्षिक ऋण योजनाएं

39	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.76 /02.01.001/2004-05	28.01.2005	अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों में निजी क्षेत्र बैंकों की सहभागिता
40	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.62 /02.01.001/2004-05	08.12.2004	ग्रामीण उधार - सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - समीक्षा- एसएए में छूट
41	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.5 /02.01.001/2004-05	16.07.2004	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभागिता
42	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.56 /02.01.001/2003-04	20.12.2003	आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रवाह
43	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.14 /02.01.001/2003-04	29.07.2003	डीएलआरसी बैठकें आयोजित करना - अग्रणी बैंकों द्वारा विलंब से रिपोर्टें प्रस्तुत करना
44	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.59 /02.01.001/2002-03	06.01.2003	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभागिता
45	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं. 106/02.01.001/2001-02	14.06.2002	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभागिता
46	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.85 /02.01.001/2000-01	09.05.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों में संसद सदस्यों और जनता के प्रतिनिधियों की सहभागिता
47	ग्राआकृवि.कैका.एलबीएस.बीसी.सं.81 /02.01.001/2000-01	27.04.2001	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की तिमाही आधार पर बैठक आयोजित करना - निगरानी
48	ग्राआकृवि.एलबीएस.बीसी.32 /02.01.01/2000-01	03.11.2000	अग्रणी बैंक योजना - जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक करना
49	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.86 /02.01.01/1996-97	16.12.1996	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) में अनुसूचित जाती / अजजा के राष्ट्रीय आयोग को शामिल करना
50	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.13 /02.01.01/1996-97	19.07.1996	एसएलबीसी/डीसीसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग/बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
51	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.118 /02.01.01/1994-95	18.02.1995	ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण- जमा अनुपात
52	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.112 एलबीसी.34/88-89	28.04.1989	राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठकें
53	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.12/65/ 88-89	11.08.1988	सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण - ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति गठित करना

54	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.100/55-87/88	22.04.1988	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान/वार्षिक कार्रवाई प्लान
55	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.87/65-87/88	14.03.1988	ग्रामीण उधार - बैंक शाखाओं का सेवा क्षेत्र
56	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.बीसी.69 एलबीएस/34-87/88	14.12.1987	राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) द्वारा कार्रवाई प्लान की समीक्षा
57	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.524/55-86/87	28.04.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान -वार्षिक कार्रवाई प्लान तैयार करना
58	ग्राआकृवि.सं.एलबीएस.430/55/86-87	03.03.1987	अग्रणी बैंक योजना - जिला ऋण प्लान - चौथे दौर के लिए दिशानिर्देश
59	ग्राआकृवि.सं.एलबीसी.363/1-84	02.11.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
60	ग्राआकृवि.सं.एलबीसी.162/1-84	06.09.1984	बैंक शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजटों के साथ वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) का एकीकरण
61	ग्राआकृवि.सं.एलबीसी.135/55-84	30.08.1984	अग्रणी बैंक योजना - 1985 के लिए वार्षिक कार्य योजना-तैयार करने संबंधी दिशानिर्देश
62	ग्राआकृवि.सं.एलबीसी.96/1-84	18.01.1984	अग्रणी बैंक योजना - अग्रणी बैंक अधिकारी की नियुक्ति - जिला समन्वयक
63	ग्राआकृवि.सं.एलबीसी.739/1-83	04.08.1983	अग्रणी बैंक योजना - के कार्य की समीक्षा के लिए गठित कार्यकारी दल की सिफारिशें
64	ग्राआकृवि.सं.3096/सी.517-82/83	13.04.1983	राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजकत्व
65	डीबीओडी.सं.बीपी.बी.बीसी.74/सी/462(इ.9)-80	18.06.1980	ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात
66	डीबीओडी.सं.टीईपी.20/सी.517-77	02.02.1977	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
67	डीबीओडी.सं.बीडी.2955/सी.168-70	11.08.1970	अग्रणी बैंक योजना
68	डीबीओडी.सं.बीडी4327/सी.168-169	23.12.1969	शाखा विस्तार कार्यक्रम - अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत जिलों का आबंटन